कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Postal R.No.MP/BPL/525/2025-27 RNI No. Raj HIN/2000/3239, डाक प्रेषण का दिन- मंगलवार, बुधवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 जयपुर, प्रकाशन सोमवार, 23 फरवरी 2026 वर्ष-26 अंक-22 मूल्य-12/- कुल पृष्ठ-12 www.krishakjagat.org पृष्ठ-1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

लैंटाना बायो-पैलेट्स भविष्य का हरित ईंधन

6

भिंडी कम लागत में अच्छी कमाई

भारत विस्तार - कृषि में डिजीटल क्रांति का शंखनाद

किसानों को उनकी भाषा में मिलेगी कृषि से जुड़ी सटीक जानकारी : श्री चौहान

जयपुर। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से कृषि में डिजीटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। इस प्लेटफॉर्म से अन्नदाता किसानों को एआई आधारित प्रणाली में सही समय पर उनकी खेती से जुड़ी विविध जानकारियां त्वरित मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि गुलाबी नगरी जयपुर से पूरे देशभर में शुरू हुए इस एआई आधारित नवाचार से किसानों को एकीकृत डिजीटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान की जाएगी जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता को बल मिलेगा एवं किसान सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनेंगे।

श्री चौहान दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित भारत विस्तार के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को रियल टाइम मंडी मूल्य, भारतीय कृषि शोध संस्थान की कृषि पद्धतियां, केन्द्र की कृषि संबंधी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण, सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन सहित तमाम जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल पाएगी। वर्तमान में यह हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया है तथा भविष्य में यह 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू होगा। साथ ही, आगामी समय में इस प्लेटफॉर्म को एग्रीस्टैक से भी जोड़ा जाएगा जिसके तहत किसान अपनी फार्मर आई.डी. के माध्यम से अपने खेत से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री कृषक कल्याण के लिए कर रहे निरंतर कार्य

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, किसानों को खेती के साथ पशुपालन एवं कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहन सहित अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे देश का अन्नदाता लाभान्वित हो रहा है।

सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान

श्री चौहान ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही, कृषि में तकनीक की उपयोगिता से राज्य देश को दिशा भी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र हैं, एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का है। राज्य सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे नवाचारों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है तथा सरकार ने राजस्थान में रेगिस्तान को नंदन वन बनाने का काम किया है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एआई कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : श्री शर्मा

किसानों के हितों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी-

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए किसान हित सर्वोपरि है तथा उनका मानना है कि वे किसानों के हित पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006-07 में जब चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ तब तत्कालीन सरकार द्वारा चीनी का बफर स्टॉक क्यों नहीं किया गया, किसानों को संरक्षण क्यों नहीं दिया गया। साथ ही, पहले भारत खाद्य तेलो में आत्मनिर्भर था लेकिन तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद्य तेल में देश आयात पर निर्भर हो गया। उन्होंने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि दूध, दही, घी, पनीर अथवा कोई भी डेयरी उत्पाद का आयात नहीं किया जाएगा। साथ ही, किसानों तथा गौ पशुपालकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

किसान, खेती और नीति

नीतियों को सरल भाषा में किसानों तक पहुँचाने की कृषक जगत की नई पहल

कृषक जगत

नई दिल्ली (कृषक जगत)। राष्ट्रीय कृषि समाचार पत्र कृषक जगत द्वारा कृषि नीतियों को सरल और स्पष्ट रूप में किसानों तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नई विशेष पॉडकास्ट संवाद श्रृंखला 'किसान, खेती और नीति' प्रारम्भ की जा रही है। यह पहल देशभर के किसानों, कृषि विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के बीच सार्थक संवाद की सेतु बनेगी।

आज जब कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली स्तर पर लिए जाते हैं, तब उनकी जटिल कानूनी और प्रशासनिक भाषा को समझना सामान्य किसान के लिए सहज नहीं होता। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह पॉडकास्ट श्रृंखला हिंदी में तैयार की गई है, ताकि नीति की बारीकियों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व- *इस विशेष संवाद श्रृंखला का संचालन करेंगे श्री प्रवेश शर्मा (IAS), पूर्व प्रबंध निदेशक, Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) एवं पूर्व कृषि सचिव, मध्यप्रदेश। कृषि प्रशासन और नीति निर्माण में उनका व्यापक अनुभव, जमीनी समझ और गहन अध्ययन इस चर्चा को तथ्यात्मक, प्रामाणिक और मार्गदर्शी बनाएगा। उनके अनुभवों से न केवल वर्तमान नीतिगत पहलुओं की स्पष्टता मिलेगी, बल्कि किसानों के हित में भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा।*

प्रथम कड़ी: ड्राफ्ट सीड बिल पर विशेष चर्चा *- इस श्रृंखला की पहली कड़ी में ड्राफ्ट सीड बिल पर विशेष चर्चा होगी। बीज कृषि उत्पादन की आधारशिला है, इसलिए बीज गुणवत्ता, प्रमाणन, नियमन और किसान अधिकारों से जुड़े प्रावधानों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तावित विधेयक में बीज पंजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, दंडात्मक प्रावधान और किसान हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, जिनका सीधा प्रभाव खेती की लागत और उत्पादकता पर पड़ेगा। इस एपिसोड में निम्न विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी - ड्राफ्ट सीड बिल की प्रमुख धाराएँ, किसानों के अधिकार और दायित्व, बीज कंपनियों की जवाबदेही, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता, नीति में सुधार की संभावनाएँ।*

कार्यक्रम विवरण-*तिथि: 24 फरवरी, समय: प्रात: 10 बजे,प्रसारण मंच: कृषक जगत का आधिकारिक यूट्यूब चैनल। किसानों और नीति निर्माताओं के बीच सशक्त कड़ी।*

'किसान, खेती और नीति' का मुख्य उद्देश्य है - जटिल नीति विषयों को सरल बनाना, किसानों और नीति-निर्माताओं के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना, किसान-केंद्रित नीति निर्माण को सशक्त करना। यह श्रृंखला केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसानों की आवाज़ को नीति विमर्श तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी। कृषि क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में जागरूकता और समझदारी ही भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। आइए, इस सार्थक पहल से जुड़ें। नीति को समझें और अपनी भागीदारी को सशक्त बनाएं।

एमएसपी पर खरीद को सुदृढ़, पारदर्शी बनाएं : श्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली आवास पर National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED) की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ सुनिश्चित करने और संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

बैठक में मूल्य समर्थन योजना (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण निधि (PSF) के तहत संचालित खरीद कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि MSP पर खरीद को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य बिना किसी विलंब के मिल सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध हों और किसानों को कोई असुविधा न हो।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

बैठक में विशेष रूप से तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनों के उत्पादन और खरीद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इसके तहत प्रस्तावित '6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के तहत उत्पादन वृद्धि, उन्नत बीजों की उपलब्धता, तकनीकी सहयोग और प्रभावी विपणन तंत्र विकसित करने पर चर्चा की गई। इस मिशन का उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है।

बैठक में कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरदा, अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, नाफेड के प्रबंध निदेशक श्री दीपक अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान

किसानों तक सस्ती होगी AI, जियो लॉन्च करेगा 'जियो कृषि'

नई दिल्ली (कृषक जगत)। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जिस तरह जियो ने देश में डेटा को किफायती बनाया, उसी तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आम नागरिक और खासकर किसानों तक सस्ती दरों पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को 'इंटेलिजेंस एरा' में आत्मनिर्भर बनाना समय की जरूरत है। श्री अंबानी ने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए 'जियो कृषि' प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की।

यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में ये सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा -मौसम आधारित सटीक सलाह, फसल रोग और कीट पहचान, उर्वरक व पोषण प्रबंधन मार्गदर्शन, बाजार भाव और मांग का पूर्वानुमान, सिंचाई और जल प्रबंधन की स्मार्ट सलाह। कंपनी का दावा है कि AI आधारित यह प्रणाली खेत स्तर पर निर्णय लेने में मदद करेगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो अगले सात वर्षों में लगभग रु. 10 लाख करोड़ निवेश करेंगे। गुजरात के जामनगर में गीगावॉट-स्तर का AI-रेडी डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआती 120 मेगावॉट क्षमता 2026 के अंत तक चालू करने का लक्ष्य है।

भारतीय भाषाओं में AI - श्री अंबानी ने जोर देकर कहा कि तकनीक तभी सफल होगी जब वह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो। जियो कृषि सहित सभी प्लेटफॉर्म हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करेंगे, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी इसका उपयोग कर सकें।

AI से रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि नई तकनीक खेतों में दक्षता बढ़ाएगी और एग्री-टेक, ड्रोन संचालन, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी। श्री अंबानी ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि AI आधारित कृषि और ग्रामीण सशक्तिकरण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि जियो की AI पहल जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू होती है, तो यह कृषि सलाह, लागत नियंत्रण और बाजार संपर्क के क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। खासकर मौसम अनिश्चितता और बढ़ती लागत के दौर में AI आधारित फसल प्रबंधन किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।

लोकसभा/राज्यसभा में कृषि

(निमिष गंगराड़े)

प्याज किसानों को 2 वर्ष में मिला 701 करोड़ से अधिक का बीमा दावा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में प्याज उत्पादक किसानों को रु. 701.54 करोड़ के बीमा दावों का भुगतान किया है। यह जानकारी कृषि राज्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर देते हुए बताया कि इस अवधि में प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में कुल 27.21 लाख किसान आवेदनों को प्याज फसल बीमा के तहत शामिल किया गया। महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ और यहीं सबसे अधिक दावों का भुगतान भी किया गया। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्याज फसल को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने पर बीमा कवरेज दिया जाता है।

प्याज किसानों को दावों का भुगतान (2022-23 से 2024-25)

राज्य	किसान आवेदन (संख्या)	प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र का अंश (रु. करोड़)	भुगतान किए गए दावे (रु. करोड़)
आंध्र प्रदेश	1,79,154	6.57	85.57
छत्तीसगढ़	2,592	0.32	0.31
कर्नाटक	94,143	41.32	91.12
महाराष्ट्र	22,21,403	256.86	453.61
ओडिशा	14,903	0.45	0.17
राजस्थान	57,756	11.15	21.95
तमिलनाडु	1,51,531	22.88	48.80
कुल	**27,21,482**	**339.53**	**701.54**

आंकड़े 31 दिसंबर 2025 तक के हैं।

पेस्टीसाइड मैनेजमेंट बिल 2025 पर CCFI की आपत्तियाँ

संतुलित नीति और स्वदेशी उद्योग की पैरवी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। Crop Care Federation of India (CCFI) ने प्रस्तावित Pesticide Management Bill 2025 (PMB 2025) पर अपनी विस्तृत आपत्तियाँ और सुझाव भारत सरकार को सौंपे हैं। 4 फरवरी 2026 को हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के बाद प्रस्तुत इन सिफारिशों का उद्देश्य स्वदेशी एग्रोकेमिकल उद्योग के हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित, पारदर्शी और नवाचार-समर्थक नियामक ढांचा सुनिश्चित करना है।

सरकार की परामर्श प्रक्रिया की सराहना : CCFI ने बिल के मसौदे को तैयार करने में अपनाई गई परामर्श प्रक्रिया का स्वागत किया। CCFI के चेयरमैन श्री दीपक शाह ने विशेष रूप से डेटा एक्सक्लूसिविटी को शामिल न करने और प्राइस कंट्रोल से संबंधित प्रावधान हटाने को उद्योग हित में सकारात्मक कदम बताया।

मिसब्रांडिंग और दंड प्रावधानों पर चिंता : फेडरेशन ने कहा कि मिसब्रांडिंग के मामलों में कंपनी के निदेशकों को स्वत: आरोपी बनाए जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है। इसके अलावा, कुछ अपराधों के लिए प्रस्तावित जुर्माने और दंड को अत्यधिक बताते हुए उन्हें तर्कसंगत बनाने की मांग की गई है।

बिक्री पर रोक की व्यापक शक्तियों पर सवाल : CCFI ने केंद्र और राज्य सरकारों को कीटनाशकों की बिक्री पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की व्यापक शक्तियाँ दिए जाने पर चिंता जताई है। संगठन का मानना है कि ऐसी शक्तियों के साथ स्पष्ट जवाबदेही तंत्र होना चाहिए।

निर्यात पर संभावित असर : फेडरेशन ने उस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है, जिसके तहत भारत में प्रतिबंधित उत्पादों की उन देशों में भी बिक्री या वितरण रोका जा सकता है, जहाँ उनकी मांग और अनुमति मौजूद है। इससे भारत के एग्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नवाचार और NCE अनुसंधान को बढ़ावा देने की मांग : CCFI ने कहा कि बिल में नई केमिकल एंटिटी (NCE) के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। संगठन के अनुसार, यह Make in India और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है।

एआई आधारित कृषि समाधान और डिजिटल भविष्य : CCFI के चेयरमैन श्री दीपक शाह ने एआई आधारित कृषि समाधानों के लोकतंत्रीकरण को परिवर्तनकारी बताया और India AI Mission के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक तकनीक पहुँचाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कम बैंडविड्थ और बहुभाषीय वातावरण में काम करने वाले स्वदेशी समाधानों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ई-कॉमर्स के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे की मांग : फेडरेशन ने PMB 2025 में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री के लिए स्पष्ट नियमों को शामिल करने की सिफारिश की है।

इसमें कड़े लाइसेंसिंग मानदंड, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, खरीदार की पात्रता सत्यापन, लेनदेन रिकॉर्ड रखने और आवश्यक परिभाषाएँ जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है।

संतुलित और नवाचार-समर्थक नीति की अपेक्षा : CCFI ने सरकार से आग्रह किया है कि इन सुझावों पर तार्किक रूप से विचार किया जाए। संगठन का मानना है कि संतुलित और उद्योग-समर्थक नियामक ढांचा न केवल किसानों के हित में होगा, बल्कि भारत को वैश्विक एग्रोकेमिकल विनिर्माण और अनुसंधान केंद्र के रूप में मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हुई 'सहकार मंथन' बैठक

नवीन गतिविधियों को अपनाकर आर्थिक सशक्त बन रही हैं राज्य की सहकारी समिति : श्री दक

जयपुर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में गतदिनों 'सहकार मंथन' बैठक आयोजित हुई। राजस्थान से सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने इस अहम बैठक में सहभागिता की।

श्री दक ने बताया कि 'सहकार से समृद्धि' की दिशा में राज्य में किये जा रहे कार्यों एवं नवाचारों को बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। विशेष रूप से विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के बेहतर क्रियान्वयन, सहकारी समितियों द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जाने, राष्ट्रीय स्तर पर गठित बहुराज्यीय सहकारी समितियों की राज्य की सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता, नवीन एम-पैक्स के गठन, उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू किए जाने एवं सहकार सदस्यता अभियान आदि के लिए राज्य की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राज्य का देश में प्रथम एवं नवीन एम-पैक्स के गठन में द्वितीय स्थान है। उन्होंने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह उच्चस्तरीय बैठक सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

श्री दक ने बताया कि श्री शाह ने बैठक में राज्यों को अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने, सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते ज़िला सहकारी बैंकों में खोलने एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहकारी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आगामी दिनों में देश में अनाज भण्डारण क्षमता उत्पादन की तुलना में तीन गुना बढ़ाने पर बल दिया।

सहकारिता मंत्री ने बैठक में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य की ओर से अपने सुझाव दिए। वहीं, राज्य की ओर से एक प्रस्तुतिकरण भी हुआ, जिसमें बताया गया कि राज्य की सहकारी समितियां अब केवल किसानों को ऋण वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि सोलर एनर्जी प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेयर हाउस, जिम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-मित्र आदि नवीन गतिविधियों को अपनाकर वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं एवं नये वर्गों को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

प्रदेश में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की

नकली खाद-बीज विक्रेताओं और कालाबाजारियों पर की सख्त कार्रवाई : कृषि मंत्री

जयपुर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को मांग से अधिक उर्वरक उपलब्ध करवाया गया है। अच्छी बारिश के कारण अधिक मांग के बावजूद खाद की कमी नहीं आने दी गयी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कालाबाजारियों और नकली खाद बीज के विक्रेताओं के खिलाफ भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है।

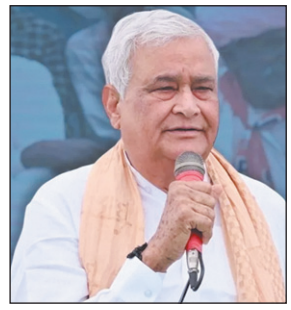

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीड और फर्टिलाइजर की गुणवत्ता और निर्बाध आपूर्ति के लिए सख्त कानून लाया जाएगा, जिसमें 20 साल की सजा और 20 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान होगा।

कृषि मंत्री प्रश्न काल में इस संबंध में विधायक श्री घनश्याम द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अच्छे प्रबंधन के कारण प्रदेश में खाद वितरण के समय पिछली सरकार के समय जैसी अप्रिय स्थितियां नहीं बनीं। इस बार लंबे मानसून के कारण जमीन में नमी बनी रही और बुवाई का रकबा बढ़ गया। साथ ही एक अतिरिक्त फसल बोने से फसलों के बीच का गैप कम हुआ। इससे खाद की आवश्यकता में वृद्धि हुई। अधिक मांग के कारण कहीं-कहीं किसानों की लाइनें लगने की स्थिति बनी, लेकिन खाद की कमी नहीं हुई।

कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को मांग की तुलना में अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में यूरिया की मांग 26.20 लाख मैट्रिक टन थी, जबकि 29.29 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। डीएपी की 8.50 लाख मैट्रिक टन मांग के मुकाबले 7.80 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध हुआ। इसी प्रकार 5.57 लाख मैट्रिक टन एसएसपी तथा 2.72 लाख मैट्रिक टन एनपीके खाद उपलब्ध कराए गए।

वहीं वर्ष 2025-26 में 25.52 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग के विरुद्ध 29.06 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। 8.43 लाख मैट्रिक टन डीएपी की मांग के मुकाबले 8.45 लाख मैट्रिक टन उपलब्ध हुआ। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च माह के लिए भी अतिरिक्त रूप से 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया तथा 50 हजार मैट्रिक टन डीएपी और स्टॉक में उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री घनश्याम द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने कहा कि खाद वितरण केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती की गई और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन में 107 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि पिछली सरकार में केवल 20 एफआईआर दर्ज हुई थीं। निरीक्षण के दौरान 11,938 लाइसेंसों में से 765 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 169 लाइसेंस निलंबित और 46 लाइसेंस निरस्त किए गए। 46 मामलों में से 28 में गिरफ्तारी हुई, 16 मामलों में अदालत में चालान पेश हुआ तथा 21 मामलों में आरोपियों ने अग्रिम जमानत ली है।

भारत विस्तार तकनीकी प्रणाली बढ़ाएगी किसानों की खुशहाली (प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ए.आई. के माध्यम से लागू होने वाली प्रणाली भारत विस्तार कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह किसानों की खुशहाली को और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आधार, यूपीआई और एग्रीस्टेक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में ए.आई. पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत-विस्तार तैयार किया है। यह एक ऐसा तकनीकी बदलाव है जहां तकनीक, ज्ञान और किसान एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तार के माध्यम से किसानों के फोन में फसल की योजना, खेती के बेहतर तरीके, कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्यपालन, पशुपालन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश के किसानों को भी व्यापक फायदा मिलेगा।

किसानों तक सेवाओं की पहुंच होगी सरल और एकीकृत- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत उनकी भाषा में मिलेंगी। महाराष्ट्र से महाविस्तार, बिहार से बिहार कृषि, और गुजरात से अमूल जैसे सिस्टम पहले ही इससे जुड़ चुके हैं। यह एक साझा डिजिटल आधार है, जो केंद्र और राज्यों की प्रणालियों को जोड़कर किसानों तक सेवाएं सरल, एकीकृत और भरोसेमंद तरीके से पहुँचाने का माध्यम बनेगा।

वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा दें किसान- श्री शर्मा ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वह इस राष्ट्र की नींव है। हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें, तो निश्चित उसकी आय बढ़ेगी, जिससे देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमें कृषि को आगामी पीढ़ी के लिए संजोकर रखना चाहिए। अधिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मृदा खराब होती है। इसलिए यह जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही आवश्यकतानुसार खाद एवं कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए।

कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर भी फोकस- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में चार जातियां हैं युवा, महिला किसान और मजदूर। जिनके उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 14 लाख से अधिक पशुओं की नि:शुल्क बीमा पॉलिसी जारी हो चुकी है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालक परिवारों को 676 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा में प्रदेश का प्रथम स्थान- श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है, जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद पर बोनस, 50 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 18 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी तथा 63 हजार से अधिक सोलर पंप जैसे निर्णयों से किसान सशक्त हुए है।

कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार उन्नत एवं तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान, मिनी किट वितरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, ग्रीनहाउस को प्रोत्साहन सहित अनेक ऐसे नवाचार कर रही है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही, नकली खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है जिससे पारदर्शिता बढ़ रही है।

इस दौरान भारत विस्तार के माध्यम से किसानों द्वारा संवाद का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया एवं किसानों ने भारत विस्तार नं. 155261 पर बात कर अपनी कृषि से जुड़ी समस्याएं रखी एवं एआई के माध्यम से तुरंत समाधान प्राप्त किया।

इससे पहले कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने भारत विस्तार का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 'एआई हैकथॉन' तथा 'एग्री कोष' तथा एआई फॉर एग्रीकल्चर रोडमैप को भी लॉन्च किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चैधरी, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, केन्द्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, केन्द्रीय अतिरिक्त कृषि सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरड़ा, प्रमुख शासन सचिव कृषि श्रीमती मंजू राजपाल सहित कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदाधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, राजस्थान के पंचायत समिति कार्यालयों एवं कृषि मंडियों सहित अन्य कृषि से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा देशभर के किसान जुड़े।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार बोन्द्रिया द्वारा संदीप शर्मा मे. संदीप इन्टरप्राइजेस, एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित एवं पेपर प्रिंट इंडस्ट्रीज 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) से मुद्रित, सम्पादक : सुनील गंगराड़े, समन्वयक : रीतेश कोंडले. इस अंक का मूल्य रुपये 12/- वार्षिक शुल्क रुपये 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रं. Raj/HIN/2000/3239

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दिखती है दुनिया उस पर कल अमल करती है। - *विनोबा भावे*

पशुओं के स्वास्थ्य के लिये हरे चारे का विस्तार

सदियों से भारतीय कृषि में पशुपालन के महत्व को कोई नहीं नकार सकता है, कृषि और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक ही तो हैं। आमतौर पर देखा गया है कि ग्रीष्मकाल में दुधारू मवेशियों से दुग्धोत्पादन में कमी आ जाती है। जिसका मुख्य कारण गर्मियों में हरे चारे का संकट आता है जो दुग्धोपान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आज से कुछ दशक पहले रबी की फसलों को काटने के बाद खेत खाली पड़े रहते थे, केवल आंशिक क्षेत्रों में ही कद्दूवर्गीय फसल उगाई जाती थी और हजारों-लाखों हेक्टर भूमि बेकार अनुपयोगी सी पड़ी रहती थी। शनैः - शनैः कृषि के लिये आवश्यक आदान सिंचाई जल के क्षेत्रों का विकास किया जाकर बरसात में व्यर्थ बह जाने वाले कीमती जल का संचय छोटे मध्यम तथा बड़े बांधों के द्वारा किया जाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया। एक बार सिंचाई जल हाथ में आया तो क्षेत्र विशेष के विकास में जैसे पंख लग गये विपुल उत्पादन देने वाली विभिन्न फसलों का बीज का विकास हुआ, उन विकसित बीज को भूख मिटाने के लिये भरपूर उर्वरक का इंतजाम किया गया और हमारी कृषि की फसल सघनता 100 प्रतिशत से बढ़कर 200 प्रतिशत और आंशिक क्षेत्रों में 300 प्रतिशत तक बढ़ गई और इस बढ़े रकबे में जायद की फसलों को लेकर अतिरिक्त आमदनी के प्रयास आज की तारीख में स्वप्न नहीं बल्कि साकार दिखाई दे रहे हैं। इससे हमारी खाद्यान्नों की समस्या का अंत हो गया परंतु आज भी हमारे पशुओं के लिये हरे चारे की कमी को पाटने के प्रयास पूरे नहीं हो सके हैं। खरीफ में वर्षा और वर्षा के परिणाम से रबी में तो पशुओं को हरा चारा मिल जाता है। परंतु गर्मी में हरे चारे की कमी से सीधा असर हमारे

दुग्धोपान पर होता है। पूर्ण पोषक तत्वों के अभाव से पशु कमजोर हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिये डेयरी फार्म के क्षेत्रों में तथा उन किसानों के खेतों में हरा चारा लगाने का विस्तार किया जाये जहां सिंचाई के लिये पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हैं ताकि दुग्धोत्पादन की समस्या पर विराम लगाया जा सके और ग्रीष्मकाल के दौरान होने वाले दूध की कमी का हल निकल जाये। हरे चारे की फसलों को आमतौर पर चार प्रकार से बांटा जा सकता है एक वर्षीय मौसमी चारा जिसमें मक्का, मकचरी, बाजरा, एम.पी. चरी, सूडान घास, दीनानाथ घास इत्यादि आते हैं। इसके अलावा दूसरे में दलहनी एक वर्षीय चारा फसल आते हैं जैसे लोबिया, मोठ, ग्वार, मूंग, उड़द इत्यादि। उल्लेखनीय है कि दलहनी चारा फसल लगाने से एक तीर से दो शिकार होते हैं। अच्छा हरा चारा पशुओं के लिये साथ में वायुमंडल से नत्रजन का जमाव भूमि में होकर आने वाली फसल को लाभ के साथ भूमि की जैविक दशा में सकारात्मक परिवर्तन जो कि आम के आम गुठलियों के दाम कहलायेगा। तीसरा बहुवर्षीय घास एवं दलहनी चारा जैसे संकर हाथी घास, गिनी घास, पैरा घास आदि इसके बाद चौथा बहुवर्षीय वृक्षों की ऐसी प्रजाति जो हरी पत्तियां देकर चारा के लिये उपयोगी होती हैं जैसे अगस्थी, सेवरी, सुबबूल, इजरायली बबूल तथा देशी बबूल। इस प्रकार यदि कृषि के ऐसे सिंचित क्षेत्रों में जायद की फसलों के साथ-साथ चारा फसलों का भी विस्तार किया जाये तो हमारे पशुओं को ग्रीष्मकाल में पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकेगा और दुग्ध का ग्रीष्मकाल में मंदा होता व्यापार सदैव हरा-भरा बना रहेगा। ध्यान रहे गेहूं के भूसे के साथ इन चारों को मिलाकर पशु आहार अधिक पौष्टिक तथा पाचक बनाया जा सकता है। कृषकों को चाहिये कि जायद में हरे चारे की कोई ना कोई फसल लेकर अपने पशुओं को स्वस्थ रखें और दुधारू पशुओं से पर्याप्त दूध प्राप्त करते रहें।

खेती को खतरे में धकेलते व्यापार समझौते और कानून

● निलेश देसाई

खेती केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का आधार रही है और इसकी धुरी रही है- बीज। हजारों वर्षों से किसानों ने बीजों को चुना, सहेजा और साझा किया, जिससे जैव-विविधता का एक विशाल भंडार निर्मित हुआ, लेकिन 21वीं सदी में यह परंपरा एक कानूनी जुर्म में बदलती दिख रही है। केन्या और कोलंबिया ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब भारत के 'बीज विधेयक 2025,' 'यूरोपियन यूनियन' और अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौतों तथा कृषि के डिजिटल रूपांतरण के चलते भारत के सामने खड़ी हो गई हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अपनी ही जमीन पर, अपने ही पूर्वजों के बीज उगाना अवैध हो जाएगा?

केन्या-कोलंबिया 'बीज गुलामी' के वैश्विक उदाहरण

वर्ष 2012 में केन्या ने अपने 'सीड्स एंड प्लांट वैरायटीज एक्ट' में संशोधन किया। इस बदलाव के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों' का दबाव था। कानून ने प्रावधान किया कि बिना पंजीकरण और प्रमाणन के किसी भी बीज का आदान-प्रदान या बिक्री अपराध होगी, जिसके लिए 2 साल की जेल या भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई। परिणामस्वरूप केन्या का छोटा किसान, जो सदियों से स्थानीय किस्मों पर निर्भर था, रातों-रात अपनी ही विरासत उगाने के अपराध में धर लिया गया।

भारत का 'बीज विधेयक 2025%: सुरक्षा या नियंत्रण?

भारत में प्रस्तावित 'बीज विधेयक 2025' पुराने 1966 के कानून को बदलने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि यह कानून बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और किसानों की आय बढ़ाएगा। हालांकि, इसकी परतों को उधेड़ने पर कुछ गंभीर चिंताएं सामने आती हैं। मसलन - विधेयक में व्यावसायिक बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। यद्यपि किसानों को अपने उपयोग के लिए बीज बचाने की छूट है, लेकिन 'व्यावसायिक बिक्री' की परिभाषा इतनी जटिल हो सकती है कि छोटा किसान अपने पड़ोसी

को बीज बेचने से पहले सौ बार सोचेगा।

विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर रू. 50,000 से लेकर रू. 30 लाख तक के जुर्माने और जेल का प्रावधान है। यह कानून बड़ी बीज कंपनियों को 'शिकायतकर्ता' की भूमिका में लाकर छोटे किसानों को अदालतों में घसीटने का हथियार बन सकता है।

'भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 2026': बदलता समीकरण

अभी, फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार अनुबंध ने भारतीय कृषि के लिए एक नया 'अग्निपथ' तैयार कर दिया है। अमेरिका का दबाव हमेशा से 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' को सख्त करने पर रहा है।

इस अनुबंध से भारत के कुछ बड़े किसानों को अमेरिकी बाजार में पहुंच मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत छोटे और मझोले किसानों को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका से आने वाले सस्ते और सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद (जैसे मक्का, सोयाबीन और डेयरी उत्पाद) भारतीय किसानों की घरेलू कीमतों को गिरा सकते हैं। अमेरिका लंबे समय से भारत में 'जीन संवर्धित' (जीएम) बीजों के प्रवेश का रास्ता खोलने का दबाव बनाता रहा है। यदि इन अनुबंधों के प्रभाव में भारत अपनी नीतियों में ढील देता है, तो हमारे देशी बीजों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत-अमरीका समझौते के करीब सालभर लटके रहने की वजह भी 'जीएम' उत्पादों को प्रवेश नहीं देने का यही विवाद था।

बजट और डिजिटलाइजेशन : 'एग्री-स्टैक' का मायाजाल

2026 के बजट में कृषि के डिजिटलाइजेशन और डिजिटल 'एग्री-स्टैक' के लिए अभूतपूर्व बजटीय आवंटन किया गया है। 'एग्री स्टैक' सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा 'डिजिटल फॉउन्डेशन' है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और डेटा तथा डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके

पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने 'यूरोपियन संघ' और अमरीका के साथ दो अलग-अलग व्यापार समझौते किए हैं। इन दोनों समझौतों में 'यूरोपियन संघ' के 27 देशों और अमरीका के भारी-भरकम सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों को भारत में खपाने की तजबीज प्रमुख है, लेकिन इससे हमारी छोटी जोत की, मंहगी लागत या बुनियादी जरूरतों तक से बेजार खेती और उसमें लगे किसानों का क्या होगा?

किसानों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। हर खेत का अपना 'डिजिटल आईडी' और हर फसल की 'क्यूआर कोड' सुनने में तो आधुनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे को समझना जरूरी है।

जब किसान के खेत का पूरा डेटा डिजिटल सर्वर पर होगा, तो बड़ी बीज कंपनियां इस डेटा का उपयोग किसानों को लक्षित विज्ञापन देने या उन्हें अपनी विशेष किस्मों के जाल में फंसाने के लिए करेंगी। यदि 'बीज विधेयक 2025' में देशी बीजों पर कोई प्रतिबंध लगता है, तो 'डिजिटलाइजेशन' उस प्रतिबंध को लागू करने का सबसे प्रभावी हथियार बनेगा। 'सैटेलाइट इमेजिंग' और 'डिजिटल रिकॉर्ड्स' के जरिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि किस किसान ने 'अपंजीकृत' बीज बोए हैं।

भारत : यूरोपीय संघ 'मुक्त व्यापार समझौते' की चुनौती

अभी 27 जनवरी '26 को हुए 'मुक्त व्यापार समझौते' में यदि भारत 'यूरोपीय संघ' के साथ व्यापार के लालच में 'यूपीओवी' (इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लॉन्ट्स) के मानकों को अपनाता है, तो हमारी 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (2001)' की वह धारा (धारा 39) खत्म हो जाएगी जो किसानों को बीज बेचने का कानूनी अधिकार देती है। यह भारतीय कृषि के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है।

'यूरोपीय संघ' के साथ की व्यापार वार्ताओं में अक्सर 'यूपीओवी' की सदस्यता की शर्त रखी जाती है। केन्या ने यही गलती की थी।

बीज संप्रभुता की सुरक्षा ही समाधान

केन्या और कोलंबिया के उदाहरण हमें जगाने के लिए हैं। भारत को अपनी नीतियों में कानूनी कवच लगाना होगा। 'बीज विधेयक 2025' में यह स्पष्ट और अपरिवर्तनीय प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसान का बीज साझा करना 'जुर्म' नहीं माना जाएगा। सरकार को कॉर्पोरेट बीजों की बजाय 'सामुदायिक बीज बैंकों' को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। किसानों के डेटा पर पहला अधिकार किसानों का होना चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों का। कृषि विश्वविद्यालयों को हाइब्रिड के बजाय देशी बीजों की उत्पादकता सुधारने पर शोध करना चाहिए।

भारत के सामने आज जो परिदृश्य है, वह केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्तित्व का है। केन्या में जो हुआ, वह कानून की एक भूल थी; भारत में जो होने जा रहा है, वह एक सचेत निर्णय होगा। यदि हम व्यापारिक समझौतों और 'डिजिटलाइजेशन' की चमक में अपने 'बीज' खो देते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की 'खाद्य सुरक्षा' को कॉर्पोरेट तिजोरियों में गिरवी रख देंगे। समय की मांग है कि हम 'विकास' की ऐसी परिभाषा चुनें जिसमें किसान के हाथ में हल भी हो और अपनी मिट्टी का आजाद बीज भी। क्योंकि, जिस देश का बीज गिरवी होता है, उस देश की थाली कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। **(सप्रेस)**

- **हरीश बाथम (टेक्निकल ऑफिसर (कृषि)**
- **प्रकाश राय** (संकुल प्रभारी समाधान परियोजना राजपुरा दरीबा),राजसमंद (राज.)
- **डॉ. सचिन कुमार सिंह (एचओडी),** कृषि विद्यालय, विक्रांत वि.विद्या., ग्वालियर
harish.batham@baif.org.in

लैंटाना बायो-पैलेट्स भविष्य का हरित ईंधन

भारत के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में लैंटाना एक अभिशाप बन चुका है। लैंटाना एक बहुत ही खतरनाक और आक्रामक खरपतवार है जो मुख्य रूप से खेतों में पोषक तत्वों व नमी सोखकर, पशुओं के लिए जहरीला बनकर और घनी झाड़ियां बनाकर फसलों को नष्ट करता है। यह बंजर जमीन पैदा करता है और कीटों व रोगों को आश्रय देकर खेती को आर्थिक नुकसान पहुँचाता है यह तेजी से फैलने वाली एक विदेशी झाड़ी है जो स्थानीय वनस्पतियों को खत्म कर देती है और जैव-विविधता के लिए खतरा पैदा करती है। लेकिन तकनीक के हस्तक्षेप से, अब इस 'जहरीली झाड़ी' को ऊर्जा के एक शक्तिशाली स्रोत बायोमास पैलेट्स में बदला जा रहा है। यह लेख लैंटाना के औद्योगिक उपयोग और पैलेट निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है।

लैंटाना ही क्यों?

लैंटाना बायोमास के रूप में एक आदर्श विकल्प है क्योंकि:

उच्च कैलोरी मान

- लैंटाना की लकड़ी का ऊर्जा मान बहुत अधिक होता है।
- इसका कैलोरी मान लगभग 3800 से 4200 kcal/kg होता है।
- यह कई सामान्य लकड़ियों और यहाँ तक कि घटिया क्वालिटी के कोयले के बराबर टक्कर देता है।

लिग्निन की प्रचुरता

- पैलेट्स बनाते समय बुरादे को आपस में जोड़ने के लिए 'बाइंडर' या गोंद की जरूरत होती है।
- लैंटाना मेंलिग्निन की मात्रा बहुत अच्छी होती है।
- जब मशीन में इसे दबाया जाता है, तो गर्मी से यह लिग्निन पिघलकर प्राकृतिक गोंद का काम करता है। इससे आपको ऊपर से कोई केमिकल मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती और पैलेट पत्थर जैसा मजबूत बनता है।

कम राख और प्रदूषण

- कोयले को जलाने पर 20-30% तक राख निकलती है, जो बॉयलर को खराब करती है।
- लैंटाना पैलेट्स में राख की मात्रा मात्र 2 से 5 प्रतिशत होती है।
- इससे मशीनों की उम्र बढ़ती है और प्रदूषण भी कम होता है।

मुफ्त और असीमित कच्चा माल

- लैंटाना एक आक्रामक खरपतवार है।
- इसे उगाने के लिए किसान को बीज, खाद या पानी नहीं देना पड़ता।
- यह जंगलों और बंजर ज़मीन पर मुफ्त में फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए सरकार और वन विभाग भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे आपको कच्चा माल बहुत सस्ता या सिर्फ मजदूरी के दाम पर मिल जाता है।

पर्यावरण का रक्षक

अगर आप धान का पुआल जलाते हैं, तो प्रदूषण होता है। लेकिन अगर आप लैंटाना का पैलेट बनाते हैं, तो-

- आप जंगलों को इस ज़हरीली झाड़ी से मुक्त कर रहे हैं।
- इससे ज़मीन का वाटर लेवल सुधरता है और अन्य देशी घास/पौधों को उगने की जगह मिलती है।

नमी का कम होना

लैंटाना की लकड़ी जल्दी सूखती है। पैलेट्स के लिए हमें 10-12 प्रतिशत नमी चाहिए होती है, जो लैंटाना को धूप में रखने मात्र से आसानी से मिल जाती है।

तकनीकी विनिर्देश

एक मानक लैंटाना पैलेट की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं :

- आकार: 6 से 10 एमएम व्यास
- नमी : < 10%
- राख : 2- 5% (कोयले की तुलना में बहुत कम)
- घनत्व : > 600 kg/m³ (परिवहन में आसान)

विशेषता	कोयला	लैंटाना पैलेट्स
पर्यावरणीय प्रभाव	उच्च प्रदूषण (CO_2)	कार्बन न्यूट्रल
राख	20% - 30%	2% - 5%
लागत	महंगी और आयातित	सस्ती और स्थानीय उपलब्धता
मिट्टी पर प्रभाव	कोई लाभ नहीं	बंजर भूमि का सुधार

पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ

कोयले का प्रतिस्थापन : उद्योगों (जैसे टेक्सटाइल, ईंट भट्टे, और पावर प्लांट) में कोयले की जगह इनका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।

वन संरक्षण : लैंटाना को हटाने से जंगलों में देशी पौधों और घासों को फिर से उगने का मौका मिलता है।

रोजगार सृजन : ग्रामीण क्षेत्रों में कटाई और संग्रहण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।

सस्ती ऊर्जा: कोयले की तुलना में ये पैलेट्स किफायती और अधिक कुशल होते हैं।

मिट्टी के माध्यम से आर्थिक लाभ

बंजर जमीन का पुनरुद्धार : लैंटाना से ढकी जमीन किसान के लिए बेकार होती है। इसे साफ करने के बाद वह जमीन फिर से खेती या चारे के लिए तैयार हो जाती है, जिससे जमीन की बाजार कीमत बढ़ जाती है।

खाद की बचत: चूंकि लैंटाना को हटाने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता वापस आती है, इसलिए बाद में वहां उगाई जाने वाली फसलों में रासायनिक खाद का खर्च कम हो जाता है।

पशुपालन में लाभ : जब लैंटाना हटता है, तो वहां पौष्टिक घास उगती है। इससे पशुओं को मुफ्त और अच्छा चारा मिलता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है और किसान की आय में वृद्धि होती है।

कार्बन क्रेडिट: अगर आप बड़े स्तर पर लैंटाना हटाकर वहां पेड़ लगाते हैं, तो भविष्य में आपर oil Carbon Sequestration के जरिए 'कार्बन क्रेडिट' से भी पैसा कमा सकते हैं।

पैलेट निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया

लैंटाना से पैलेट्स बनाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है-

संग्रहण और कटाई : जंगलों या बंजर भूमि से लैंटाना को जड़ के ऊपर से काटा जाता है। इसमें सूखी और हरी दोनों तरह की लकड़ियाँ शामिल हो सकती हैं।

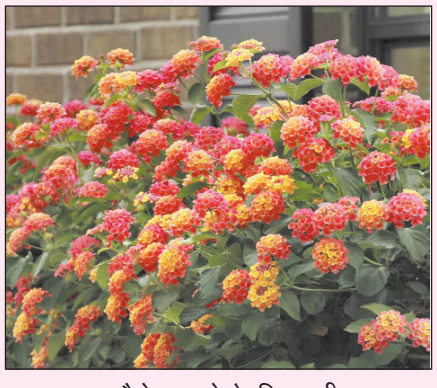

सुखाना: पैलेट बनाने के लिए नमी का स्तर10 से 12 प्रतिशत हो। कटे हुए लैंटाना को धूप में सुखाया जाता है या 'ड्रायर मशीन' का उपयोग किया जाता है।

क्रशिंग और चॉपिंग : बड़ी झाड़ियों को 'वुड चिपर' मशीन में डालकर छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इसके बाद 'हैमर मिल' के जरिए इसे बारीक पाउडर या बुरादे में बदल दिया जाता है।

पैलेटाइजेशन : यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस बुरादे को उच्च दबाव पर 'पैलेट मिल' के सांचों से गुजारा जाता है। उच्च तापमान और दबाव के कारण बुरादा संकुचित होकर कठोर, चमकदार और बेलनाकार पैलेट्स का रूप ले लेता है।

कूलिंग और पैकेजिंग : मशीन से निकलते समय पैलेट्स गर्म होते हैं। इन्हें 'पेलेट कूलर' में ठंडा किया जाता है और फिर नमी से बचाने के लिए बोरियों में पैक कर दिया जाता है।

औद्योगिक उपयोग - सबसे बड़ा मार्केट

फैक्ट्रियों में जहाँ भारी मात्रा में गर्मी की जरूरत होती है, वहाँ कोयले की जगह पैलेट्स का इस्तेमाल होता है-

थर्मल पावर प्लांट: बिजली बनाने के लिए अब कोयले के साथ 5-10 प्रतिशत बायोमास पैलेट्स मिलाना अनिवार्य होता जा रहा है।

टेक्सटाइल और कपड़े की मिलें : यहाँ बॉयलर चलाने और भाप बनाने के लिए इसका उपयोग होता है।

ईंट भट्टे : ईंटों को पकाने के लिए कोयले के

विकल्प के रूप में।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री : दूध की डेयरी, बिस्किट फैक्ट्रियां और चीनी मिलों में भाप बनाने के लिए।

केमिकल और फार्मा कंपनी : दवाओं और रसायनों को गर्म करने के लिए।

व्यावसायिक उपयोग

शहरों और कस्बों में जहाँ बड़ी मशीनों की जरूरत होती है-

होटल और ढाबे : तंदूर, भट्टी और बड़े वाटर हीटर चलाने के लिए।

अस्पताल : पानी गर्म करने और कपड़े सुखाने के लिए बड़े बॉयलरों में।

सामुदायिक रसोई : जैसे गुरुद्वारे या मिड-डे मील की रसोई में बड़े बर्तनों में खाना पकाने के लिए।

घरेलू उपयोग

पैलेट स्टोव: खाना पकाने के लिए विशेष प्रकार के चूल्हे आते हैं जिनमें पैलेट्स का धुआं बहुत कम निकलता है।

रूम हीटर: ठंडे इलाकों में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी की जगह पैलेट्स जलाए जाते हैं।

भिंडी

कम लागत में अच्छी कमाई

● संजय हिंगवे (एसोसिएट ब्रीडर-ओकरा)
ईगल सीड्स एंड बायोटेक प्राइवेट लि.,
hingve@eagleseeds.in

भिंडी भारत की एक प्रमुख सब्ज़ी फसल है, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और किसानों के लिए कम समय में अच्छा मुनाफ़ा देने वाली फसल मानी जाती है। सही तकनीक और देखभाल से भिंडी की खेती बेहद लाभकारी साबित हो सकती है।

महत्व

भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा विटामिन A और C प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पाचन के लिए लाभकारी होती है तथा मधुमेह रोगियों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। यह किसानों को शीघ्र लाभ प्रदान करती है।

जलवायु और भूमि

भिंडी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसकी अच्छी वृद्धि के लिए 25-35°C तापमान अनुकूल माना जाता है। यह फसल हल्की दोमट से लेकर बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। भूमि का जल निकास अच्छा होना चाहिए तथा मिट्टी का pH मान 6 से 7.5 के बीच हो।

उन्नत किस्में

भारत में भिंडी की कई उन्नत संकर किस्में उपलब्ध हैं,किसानों को अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है।

संकर किस्म चयन के फायदे

- अधिक उपज
- गहरा हरा रंग
- एकसार फल
- जल्दी और आसान तुड़ाई
- रोगों के प्रति सहनशीलता

बुवाई का समय और विधि

ग्रीष्मकालीन फसल के लिए फरवरी-मार्च तथा खरीफ फसल के लिए जून-जुलाई का समय उपयुक्त होता है। बीजों की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45-60 सेमी तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी रखें। प्रति हेक्टेयर 8-10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।

भिंडी की बुवाई में रिज एंड फरो और फ्लेट बेड विधि दोनों इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन चुनाव मिट्टी, पानी और मौसम पर निर्भर करता है।

रिज एंड फरो विधि कब इस्तेमाल करें : भारी मिट्टी, जो पानी रोक लेती है, मानसून/खरीफ में जब बारिश अधिक होती है।

तरीके : उभार: 30-40 से.मी. ऊँचा, 60 से.मी. चौड़ा और फरो (खाई): 15-20 से.मी. गहरी, बीज उभार पर डालें।

फायदा : जलभराव से बचाव,जड़ों में हवा और नमी का संतुलन और बीमारियों का कम खतरा।

फ्लेट बेड (समतल) विधि कब इस्तेमाल करें: हल्की या दोमट मिट्टी, सिंचाई आसानी से उपलब्ध हो और पानी जमा होने का डर कम हो।

तरीके : जमीन को समतल करके बुवाई, पंक्ति दूरी: 45-60 से.मी., पौधे की दूरी: 25-30 से.मी., सिंचाई : नियमित, पर जलभराव नहीं।

फायदा: बीज बोना और तुड़ाई आसान, सिंचाई कम मेहनत वाली, बड़े पैमाने पर खेती में आसान।

प्रमुख संकर किस्में

भिंडी की संकर किस्में		किस्में प्रकार
Eagle-3801	-	Fv Hybrid
Eagle vv Plus	-	Fv Hybrid
Eagle Green	-	OP Variety
Reeta	-	Fv Hybrid
Raadhika	-	Fv Hybrid
Navya	-	Fv Hybrid
अर्का अनामिका	-	OP Variety
परभनी क्रांति	-	OP Variety
पंजाब पद्मिनी	-	OP Variety
वर्षा उपहार	-	OP Variety
अर्का अभय	-	OP Variety

ये किस्में अधिक उत्पादन देने वाली तथा कुछ रोगों के प्रति सहनशील होती हैं।

संक्षेप में सुझाव

मिट्टी/हालात सबसे अच्छा तरीका

भारी मिट्टी/ बारिश ज़्यादा	रिज एंड फरो
हल्की / दोमट मिट्टी	फ्लेट बेड प्लान

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 20-25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि तैयारी के समय डालें। इसके अतिरिक्त 100 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फॉस्फोरस और 50 किग्रा पोटाश की सिफारिश की जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष दो भागों में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें।

सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण

गर्मी में 5-7 दिन के अंतराल पर तथा बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। खेत को खरपतवार-मुक्त रखने के लिए 2-3 निराई-गुड़ाई आवश्यक होती है। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है।

कीट एवं रोग प्रबंधन

भिंडी में प्रमुख कीट तना एवं फल छेदक, सफेद मक्खी और माहू हैं। रोगों में Enation Leaf Curl Virus, पीला मोज़ेक वायरस (Yellow Vein Mosaic Virus) और पाउडरी मिल्ड्यू (Powdery Mildew) तथा Fusarium Wilt प्रमुख हैं। समय पर कीटनाशक व रोगनाशक का छिड़काव कर इनका नियंत्रण किया जा सकता है। रोग-प्रतिरोधी किस्मों का चयन भी लाभकारी होता है।

तुड़ाई और उपज

भिंडी के फल कोमल अवस्था में तोड़ें। पहली तुड़ाई बुवाई के 45-50 दिन बाद प्रारंभ हो जाती है। प्रति हेक्टेयर औसतन 100-150 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है।

निष्कर्ष : भंडी एक ऐसी सब्ज़ी फसल है जो कम लागत में अधिक लाभ देने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर किसान इसकी अच्छी उपज और बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह फसल पोषण और व्यापार—दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी है।

किसान भाइयों को कृषि सलाह

आम

सूखे मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों सब्जियों और फलों के पौधों में मुरझाने के समय ज्यादा तापमान के असर को कम करने के लिए एक और सिंचाई करें।

गेहूँ

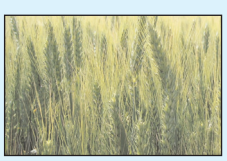

गेहूँ की सामान्य समय पर बोई गई गेहूं की फसल में चौथी सिंचाई (बालियां आने की अवस्था) तथा देरी से बोई गई फसल में तीसरी सिंचाई (गांठ बनते समय) देने का भी यह उपयुक्त समय है।

चना-मटर

चना और मटर की फसल पर चना छेदक कीट का हमला होने की संभावना है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए मैलाथियन 50 ईसी को 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

जीरा, मटर, सौंफ मैथी एवं धनिया

तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सौंफ, मेथी, मटर, जीरा और धनिया की फसल पर फफूंदी लगने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर सफेद पाउडर दिखाई देता है। डिनोकैप 48 ईसी का

1.0 मिलीलीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यूपी का 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें या सल्फर पाउडर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

टमाटर

टमाटर में ब्लाइट बीमारी लगने का खतरा रहता है। इसलिए फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। अगर लक्षण दिखेंतो डाइथेन एम-45 को 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में मिलाकर स्प्रे करें।

अनार

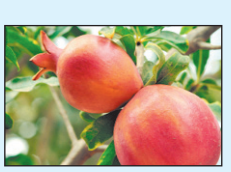

अनार की तितली के हमले से फल सड़ जाते हैं और समय से पहले गिर जाते हैं। हमला दिखने पर मैलाथियान 50 ईसी को 1.0 प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

आम, अमरुद एवं अंगूर

आम, अमरूद और अनार पर मिलीबग कीट का हमला हो सकता है। ये कीट अपने हॉपर के ज़रिए इन पेड़ों की कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं। मैलाथियन 50 ईसी को 1.0 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।

आम, अमरुद एवं अंगूर की फसल में श्याम वर्ण (एनथ्रेक्नोज) रोग के लक्षण जैसे पत्तियों पर काले रंग के फफोलेनुमा धब्बे टहनियों का सूखना इत्यादि दिखाई देने पर रोग ग्रस्त टहनियों को काट कर नष्ट कर दें तथा पेड़ों पर कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा कार्बेन्डाज़िम 50Wt का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।

वर्मी कम्पोस्ट

- वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए छायादार एवं हवादार स्थान का चयन करें।
- सड़ा हुआ गोबर एवं फसल अवशेषों का ही उपयोग करें।
- केंचुओं को तेज धूप औ रठंड एवं अधिक नमी से बचाएँ।

क्या प्रक्षेत्र जैव सुरक्षा रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोक सकती है ?

- डॉ. आर.एस. तायडे
- डॉ. नवलसिंह रावत • डॉ. रंजित एच.
- डॉ. श्वेता राजोरिया • डॉ. प्रणव चौहान

पशुधन उत्पादन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के कारण प्रतिवर्ष 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारी आर्थिक क्षति होती है, जिससे रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की रोकथाम अपरिहार्य हो गई है। यद्यपि रोगाणुरोधी औषधियों के प्रयोग को सीमित किया गया है, तथापि प्रतिरोधी जीवाणु न केवल सक्रिय हैं, अपितु विभिन्न पशु प्रक्षेत्रों के मध्य उनका निरंतर प्रसार हो रहा है। कई अध्ययनों में सुदृढ़ कृषि जैव सुरक्षा और रोगाणुरोधी उपयोग में कमी के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाया गया है। चिकित्सीय रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध मानव और पशु चिकित्सा विज्ञान दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अतः पशु-जन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के परिप्रेक्ष्य में, विविध प्रक्षेत्र प्रणालियों के भीतर AMR के नियंत्रण हेतु व्यापक और प्रभावी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। यह लेख जैव सुरक्षा उपायों के सफल हस्तक्षेपों के साथ-साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार और रोकथाम में प्रभावशिलता, और विभिन्न पशुधन उत्पादन सम्बंधी कार्यों में इन रणनीतियों की व्यावहारिकता पर चर्चा करता है।

जैव सुरक्षा और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बीच संबंध

रोगाणुरोधी प्रतिरोध वर्तमान में वैश्विक जनस्वास्थ्य एवं पशु-कल्याण के समक्ष उभरी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, जिसका सीधा संबंध मानव और पशुधन दोनों में रोगाणुरोधी दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, समस्त विक्रय किए जाने वाले रोगाणुरोधकों का लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा अकेले पशुपालन क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। यदि वैकल्पिक समाधानों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो खाद्य-उत्पादक पशुओं में इनकी वार्षिक खपत वर्ष 2030 तक 104,079 टन के चिंताजनक स्तर तक पहुँचने का अनुमान है।

प्रक्षेत्र वातावरण में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का फैलाव

पशुओं के जठरांत्र में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले रोगाणुरोधी-प्रतिरोधी जीवाणु, संपूर्ण कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। उपचाराधीन पशुओं के अपशिष्ट में औषधीय अवशेष और प्रतिरोधी रोगाणु दोनों पाए जाते हैं, जो मृदा और जल निकायों को संदूषित करते हैं। यह प्रदूषित जल सिंचाई के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में पुनः प्रवेश कर कृषि उत्पादों के उपभोग से जुड़ा जोखिम भी बढ़ जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में, पशुधन और खाद्य व्यापार के माध्यम से यह प्रतिरोध स्थानीय सीमाओं को लांघकर वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले लेता है, जो संक्रमित पशुओं के संपर्क और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से प्रसारित होता है।

अस्वच्छता और पशु घनत्व की भूमिका

शोध निष्कर्षों के अनुसार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध का, दवाओं के अनियंत्रित उपयोग, साफ-सफाई की कमी और दस्त जैसे संक्रामक घटनाओं की आवृत्ति से सीधा सहसंबंध है। उच्च पशुधन घनत्व, प्रतिरोध के विकास में एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अत्यधिक भीड़भाड़ वाली परिस्थितियाँ, संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। विशेषकर कुक्कुट पालन केंद्रों में, उच्च घनत्व और अपर्याप्त जैवसुरक्षा के कारण, उच्च रोग-भार एवं रोगाणुरोधी दवाओं पर निर्भरता के बीच एक अटूट संबंध देखा गया है।

जैव सुरक्षा - एक निवारक उपकरण

जैव सुरक्षा उन समस्त उपायों का प्रतिनिधित्व करती है जो पशुओं में संक्रमण के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए अनिवार्य हैं। प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणों के विपरीत, जो समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद उनका समाधान करते हैं, जैव सुरक्षा एक रणनीतिक निवारक उपकरण है जो एक ओर इष्टतम उत्पादन, खाद्य सुरक्षा एवं पशु कल्याण, तथा दूसरी ओर संक्रमण, रोगाणुरोधी उपयोग और प्रतिरोध के बीच संतुलन बनाए रखती है। विभिन्न भौगोलिक स्थितियों, असमान आय-वर्गों, कृषि-जोत और संसाधन क्षमताओं के बावजूद, अनुभव जन्य साक्ष्य यह साबित करते हैं कि उन्नत जैव सुरक्षा मानक अपनाने से रोगाणुरोधी दवाओं की निर्भरता में भारी कमी आती है। ये संतोषजनक सफलताएँ रोग संचरण और रोगाणुरोधी निर्भरता को कम करने में प्रक्षेत्र -स्तरीय हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती हैं। विशिष्ट जैव सुरक्षा उपाय जैसे उचित रोग प्रबंधन, ऑल-इन/ऑल-आउट सिस्टम, नियमित सफाई, क्वारंटाइन बाड़े, और प्रभावी टीकाकरण, न केवल संक्रमण दर को घटाते हैं, बल्कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने में सबसे लागत-प्रभावी हस्तक्षेप सिद्ध हुए हैं। अतः जैवसुरक्षा को रोगाणुरोधी प्रतिरोध न्यूनीकरण कार्यक्रमों का आधारस्तंभ माना जाता है। वैश्विक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैव सुरक्षा के प्रति जागरूकता, उचित अपशिष्ट प्रबंधन और प्रक्षेत्र-विशिष्ट कृषक-प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि पशुपालन उद्यमों की लाभप्रदता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम के लिए जैव सुरक्षा विस्तार की रणनीतियाँ

जैव-सुरक्षा न केवल एक प्रक्रिया है, बल्कि संक्रामक कारकों के संचरण को रोकने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को नियंत्रित करने का एक रणनीतिक हस्तक्षेप है। इस संदर्भ में, 'ज्ञान और कार्यान्वयन' के मध्य अंतराल को पाटने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। यह रणनीतियाँ जैव-सुरक्षा उपायों को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु एक टिकाऊ व स्थायी संस्थागत ढाँचा सुनिश्चित कर सकती हैं।

किसान शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

फार्मर फील्ड स्कूल दृष्टिकोण, पशुपालन की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों और व्यावहारिक तकनीकों का अनूठा समन्वय करता है, जो पारंपरिक 'ज्ञान और अभ्यास' के मध्य अंतराल को सफलतापूर्वक पाटता है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संचालित यह सहभागी शिक्षण पद्धति न केवल पशुपालकों के कौशल को निखारती है, बल्कि उनके दृष्टिकोण में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। वैश्विक स्तर पर इसके परिणामों ने यह सिद्ध किया है कि जब सीखने की प्रक्रिया व्यावहारिक और समुदाय-आधारित होती है, तो जैव-सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के मानकों में क्रांतिकारी सुधार संभव है।

जैव सुरक्षा मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग

Biocheck.UGent जैसी वैज्ञानिक एवं जोखिम-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, पशु प्रक्षेत्रों पर जैव-सुरक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण करने हेतु एक अत्यंत प्रभावी और व्यापक वैश्विक उपकरण है। यह प्रणाली प्रक्षेत्र के आंतरिक एवं बाह्य जैव-सुरक्षा उपायों का सूक्ष्मता से परीक्षण करती है और उन्हें उनके सापेक्षिक जोखिम व महत्व के आधार पर वैज्ञानिक रूप से भारित करती है। यह प्रणाली न केवल प्रक्षेत्र-विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्राप्तांकन प्रदान करती है, बल्कि उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में भी सक्षम बनाती है। अंततः, यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण प्रक्षेत्रों पर जैव-सुरक्षा अंतराल की सटीक पहचान कर रोगाणुरोधी उपयोग को कम करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करता है।

रोकथाम और नियंत्रण नीतियों के साथ एकीकरण

रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रभावी नियंत्रण हेतु जैव-सुरक्षा को व्यापक नीतिगत ढाँचों में एकीकृत करना समय की मांग है। वर्तमान में, जैव-सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य रूप से किसानों पर केंद्रित है, जबकि उनके पास न्यूनतम औपचारिक शिक्षा, ज्ञान के सह-निर्माण के सीमित अवसर और उद्योग व सरकार की ओर से अपर्याप्त सहयोग उपलब्ध है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए पशु चिकित्सा पैरा-प्रोफेशनल्स एक सेतु के रूप में उभर सकते हैं। विशेष रूप से उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पशु चिकित्सकों का अभाव है, ये प्रशिक्षित पैरा-प्रोफेशनल्स अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे कई सफल उदाहरण मौजूद हैं जहाँ इन पेशेवरों ने कृषक समुदायों के साथ निरंतर संवाद और जागरूकता सत्रों के माध्यम से उनके व्यवहार एवं प्रबंधन पद्धतियों में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अतः एक समावेशी नीति वही होगी जो किसानों को अकेले उत्तरदायी मानने के बजाय, उन्हें संसाधन संपन्न पैरा-प्रोफेशनल्स और सुदृढ़ सरकारी तंत्र के साथ जोड़कर एक साझा रक्षा पंक्ति तैयार करे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी

जैव-सुरक्षा के व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक अनिवार्य और आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। बीमा और क्षतिपूर्ति अनुबंध जैसे वित्तीय उपकरण न केवल उत्पादकों को संभावित आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उच्च स्तरीय जैव-सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी दिशा में, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन निजी प्रक्षेत्रों में जैव-सुरक्षा उपायों की गुणवत्ता और निरंतरता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही, उत्पादकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं और लागत-प्रभावशीलता को केंद्र में रखकर संचालित शोध परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करना, रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा। हालांकि, ऐसी साझेदारियों की सफलता अंततः पूर्ण पारदर्शिता, स्पष्ट संवाद, साझा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और एक सुव्यवस्थित शासन तंत्र पर निर्भर करती है। संक्षेप में, जैव-सुरक्षा को एक साझा उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करना ही मानव और पशु स्वास्थ्य की दीर्घकालिक सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है।

संतुलित खेती : कृषि का बदलता स्वरूप

किसान खेती में अलग-अलग प्रकार के रसायनों (केमिकल) का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसानों का अनुभव है कि हर साल इनके उपयोग मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, नई-नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं और कीटों में कीटनाशकों के प्रति 'प्रतिरोधक क्षमता' विकसित हो रही है। इसके कारण अगली फसल में पहले से अधिक मात्रा में केमिकल का उपयोग करना पड़ता है जिससे किसान धीरे-धीरे एक 'केमिकल कुचक्र' में फँसता चला जाता है। इसी वजह से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि 'केमिकल एक वरदान भी है और एक श्राप भी', क्योंकि जो केमिकल आज समस्या का समाधान प्रतीत होते हैं, वही भविष्य में किसानों के लिए नई और बड़ी समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं।

अगर तथ्यों की मानें तो भारत में लगभग 98 प्रतिशत खेती केमिकल पर आधारित है, और देश के हर कोने में किसान केमिकल से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह परिचित हैं लेकिन कोई आसान और व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान इस केमिकल कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाते और मजबूरी में केमिकल का उपयोग जारी रखते हैं तब एकमात्र विकल्प जैविक खेती ही बचती है और पूरी तरह जैविक खेती अपनाने पर उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है।

इसी केमिकल और जैविक खेती के जद्दोजहद के बीच एक नया चलन सामने आया है, जहां हज़ारों किसान इस केमिकल कुचक्र से बहार निकल रहे हैं जिसे किसानों ने 'संतुलित खेती' का नाम दिया है, आसान शब्दों में समझें तो संतुलित खेती का उद्देश्य 'उत्पादन को स्थिर रखते हुए खेती से केमिकल को 80 प्रतिशत तक कम करना है'। संतुलित खेती की विशेषता यह है की यह कोई अलग पद्धति नहीं है, यह किसानों को अपनी गति और सहूलियत के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से केमिकल घटाने का एक रास्ता दिखाती है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संतुलित खेती को अपनाने वाले कई किसानों ने पहले ही सीजन से 50-60 प्रतिशत तक केमिकल के उपयोग में कमी दर्ज की है, जबकि कुछ किसानों ने सहूलियत के हिसाब से 10-20 प्रतिशत केमिकल का उपयोग घटाया और उत्पादन का स्तर पूर्व स्थिति के समान बना रहा।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत की मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर 1950 के दशक में 1 प्रतिशत था, जो वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों में 0.3-0.4 प्रतिशत रह गया है, जो स्वस्थ मिट्टी के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है और अगर ये स्तर 0.3 प्रतिशत से कम हुए तो ज़मीन बंजर होने की कगार पर आ जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसानों को मृदा परीक्षण, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के संतुलित उपयोग और जैविक विकल्पों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि केमिकल का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से कम किया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह रसायन-मुक्त खेती हर किसान के लिए तुरंत अपनाना व्यवहारिक नहीं हो सकता, लेकिन संतुलित खेती एक मध्य मार्ग के रूप में किसानों को उत्पादन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का अवसर देती है। यदि इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो न केवल मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और उत्पादन में स्थिरता आएगी, बल्कि हर साल बढ़ रही नई-नई बीमारियों से भी राहत मिलेगी और धीरे-धीरे खेती को उसके पुराने, स्वस्थ स्वरूप की ओर वापस ले जाया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती - अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्वॉइल हेल्थ कार्ड क्या है?

स्वॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जो किसान को उसकी हर जोत के लिए दी जाएगी। इसमें 12 पैरामीटर के हिसाब से उसकी मिट्टी का स्टेटस होगा, जैसे एन.पी.के. (मैक्रो-न्यूट्रिएंट्स); (सेकेंडरी न्यूट्रिएंट); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo (माइक्रो न्यूट्रिएंट्स); और pH, EC, OC (भौतिक मापदंड)। इसके आधार पर, स्वॉइल हेल्थ कार्ड खेत के लिए ज़रूरी फर्टिलाइज़र की सलाह और मिट्टी में बदलाव के बारे में भी बताएगा।

स्वॉइल हेल्थ कार्ड का क्या महत्व है ?

कार्ड में किसान की ज़मीन की मिट्टी में पोषण की स्थिति के आधार पर एक सलाह होगी। इसमें ज़रूरी अलग-अलग पोषण की खुराक के बारे में सलाह दी जाएगी। इसके अलावा, यह किसान को यह सलाह देगा कि उसे कौन से फर्टिलाइज़र और उनकी मात्रा डालनी चाहिए, और उसे कौन से मिट्टी में बदलाव करने चाहिए, ताकि अच्छी पैदावार हो सके। यह 3 साल के साइकिल में एक बार मिलेगा, जो उस खास समय के लिए किसान की ज़मीन की मिट्टी की हेल्थ की स्थिति बताएगा। अगले 3 साल के साइकिल में दिया गया SHC उस बाद के समय के लिए मिट्टी की हेल्थ में हुए बदलावों को रिकॉर्ड कर पाएगा।

मिट्टी के सैंपल लेने का तरीका क्या है?

मिट्टी के सैंपल (GPS) जीपीएस उपकरण और राजस्व नक्शों की मदद से सिंचित इलाके में 2.5 हेक्टर और बारिश वाले इलाके में 10 हेक्टर के ग्रिड में लिए जाएंगे। मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। मिट्टी को "V" शेप में काटकर, एक प्रशिक्षित व्यक्ति 15-20 सेंटीमीटर की गहराई से सैंपल इकट्ठा करेगा। इसे खेत के चारों कोनों और बीच से इकट्ठा करके अच्छी तरह मिलाया जाएगा और इसका एक हिस्सा सैंपल के तौर पर लिया जाएगा। छाया वाली जगहों से बचा जाएगा। चुने गए सैंपल को बैग में डालकर कोड किया जाएगा। फिर इसे एनालिसिस के लिए स्वॉइल टेस्ट लैब में भेजा जाएगा। राज्य सरकार अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ या किसी आउटसोर्स एजेंसी के स्टाफ के ज़रिए सैंपल इकट्ठा करती है। मिट्टी के सैंपल आमतौर पर साल में दो बार लिए जाते हैं, एक के बाद एक रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल खड़ी न हो।

समस्या -समाधान

समस्या- आम के पुराने बगीचे में पानी कब-कब लगायें?

- रामसुजान त्रिपाठी

समाधान *● आम के पुराने बगीचे में वर्षाऋतु के बाद फल आने तक पानी नहीं देने से फूल जल्दी तथा एक साथ आते हैं। ● आम में फूल (बौर) आने से लेकर फल पकने तक सिंचाई देना अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। 50 प्रतिशत पेड़ों में यदि फूल आ गये हों तथा 50 प्रतिशत से अधिक फूल खिल गये हों तो सिंचाई आरंभ कर देनी चाहिए या फिर यह कार्य 60 प्रतिशत फूल की कलियों के निकलने के बाद करें। ● सिंचाई की मात्रा पेड़ के विकास, मिट्टी, वाष्पीकरण, जड़ों की गहराई आदि पर निर्भर करेगी, पानी पेड़ की छांव के कम से कम 40 प्रतिशत भाग से 60-80 से.मी. नीचे तक चला जाना चाहिए। फूल-फल अवस्था में हफ्ते में 1-2 सिंचाई हल्की मिट्टी में आवश्यक हो जाती है। ● फल तुड़ाई के 1-2 सप्ताह पहले सिंचाई रोक दें। मिट्टी में कितनी नमी है इसके लिये किसान टेन्सोमीटर का उपयोग कर सकते हैं।*

समस्या- अरबी की खेती पहली बार करना चाहता हूं, खाद की मात्रा तथा सिंचाई कितनी देनी पड़ेगी बतायें।

- पारसनाथ पाटीदार

समाधान- *जुताई के पूर्व 40 से 60 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला दें। बुआई के पूर्व 22 किलो नत्रजन, 25 किलो फास्फोरस तथा 25 किलो पोटाश प्रति एकड़ मान से कूड़ों में दें। नत्रजन तथा पोटाश की 10-10 किलो मात्रा दो बार में देना चाहिए। पहली मात्रा 7 से 10 स्प्राउट निकलने पर तथा दूसरी मात्रा उसके एक माह बाद देनी चाहिए। खड़ी फसल में नत्रजन व पोटाश देने के बाद मिट्टी अवश्य चढ़ायें। साधारणत: बुआई के 4-5 दिन बाद पहली सिंचाई कर देना चाहिए। यदि कन्दों से स्प्राउट सही आ रहे हों तो सिंचाई 8-10 दिन बाद ही करें। बाद में आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें। बुआई पूर्व बीज को थायरम व कार्बोसिन के 1.5-1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से अवश्य उपचारित करें।*

स्वास्थ्य

सेहत में लाभकारी लाल शिमला मिर्च

त्वचा के लिए लाभकारी : लाल शिमला मिर्च में आयरन, विटामिन, बीटा कैरोटीन आदि भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए यह त्वचा से चकत्ते और उम्र के धब्बों की रोकथाम में मदद करती है। लाल शिमला मिर्च की नियमित रूप से इस्तेमाल मेलेनिन के उत्पादन को सीमित कर रंग में सुधार करता है।

स्पाइडर वेन्स को ठीक करें : अगर आपके शरीर में स्पाइडर वेन्स है तो नियमित रूप से लाल शिमला मिर्च का सेवन कर आप आसानी से इस समस्या से छुटाकारा पा सकते हैं। लाल शिमला मिर्च में कुछ गुण होते है जिससे रक्त की आपूर्ति में रुकावट नहीं आती और नसों को मजबूत करते है।

एंजिग की समस्या में लाभकारी : लाल शिमला मिर्च बीटा कैरोटीन से समृद्ध होती है। यह शरीर में प्रवेश करने पर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाती है। यह झुर्रियों के विकास को रोकने और एक उज्जवल रंग को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ त्वचा के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बालों को झड़ने से बचाता है : बालों का झड़ना लोगों की आम समस्या है और लाल शिमला मिर्च की पर्याप्त सेवन से इस समस्या का हल धीरे–धीरे किया जा सकता है। क्योंकि यह विटामिन बी–6 का अमीर स्त्रोत होने के कारण बालों के रोम को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा स्थानांतरण करता है। यह बालों की जड़ों में रक्त परिसंचरण में सुधार करके बालों के विकास को उत्तेजित करता है।

बालों की प्राकृतिक रंग को बनाए रखता है : जो लोग बालों के सफेद होने की समस्या से चिंतित है उन लोगों के लिए नियमित रूप से लाल शिमला मिर्च का इस्तेमाल वरदान की तरह है। इसमें मौजूद विटामिन बी–6 मेलेनिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अगर आप इसका उपभोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने बालों के लिए लाल रंग देने के लिए मेंहदी के साथ इसके पाउडर को जोड़ सकते है। हालांकि, आप अपने सिर पर सीधे इसे लागने से पहले अपनी कलाई पर एक पैच परीक्षण करना चाहिए।

लाल शिमला मिर्च को लोग सब्जी और सलाद दोनों ही रूपों में बढ़े चाव से खाते हैं। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी, ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब्जी स्वाद ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा नाममात्र की होने के कारण यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती। साथ ही यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है।

सूजन कम करे : लाल शिमला मिर्च में अद्भुत एंटी–इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और ऑटो प्रतिरक्षा रोगों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होता है। गठिया से पीड़ित लोग को नियमित रूप से मसाला के रूप में इसका इस्तेमाल करने से सूजन और दर्द से राहत मिल सकती है।

हाइपरटेंशन में उपयोगी : लाल शिमला मिर्च में केपसिसिन की उपस्थिति शरीर में रक्तचाप के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों लाल शिमला मिर्च के इस्तेमाल से रक्तचाप के स्तर में कमी पा सकते हैं।

तुरंत ऊर्जा प्रदान करे : विटामिन बी–6 एक कोइंजिमी है इसके सेवन से शरीर के अंदर अन्य एंजाइमों ठीक करने का कार्य करते है। यह एंजाइम शरीर के भीतर जैव रसायनिक प्रतिक्रियाओं करते है और ऊर्जा के उत्पादन का नेतृत्व करते हैं, ग्लूकोज के साथ शरीर को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हीमोग्लोबिन प्रदान करते हैं।

आंखों के लिए लाभकारी : कमजोर आंखों वाले लोगों के लिए लाल शिमला मिर्च का सेवन आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके मसाले में मौजूद अन्य यौगिकों उम्र से संबंधित आंख की समस्याओं के खतरे को कम करने में उपयोगी होता है।

नमस्कार कब, क्यों और कैसे करें

आजकल नमस्कार करने की परिभाषा बदल रही है, ऐसे में हम बच्चों को संस्कारित कैसे करें। अत: यह बताना आवश्यक है कि नमस्कार कब, क्यों और कैसे करें।

एक समय था कि नमस्कार की एक विशेष प्रथा थी जिस कारण प्राय: सभी स्वस्थ रहते थे। जब घरों में कोई अतिथि आते हैं तो कुछ खाना–पीना अवश्य होता है। उन अतिथि के साथ परिवार के सदस्य भी खाते हैं, जो कि विशेष रूप से मेहमान के लिए बनाया जाता है, जबकि दैनिक दिनचर्या में हम सात्विक एवं हल्का भोजन ही खाते हैं।

इस विशेष रूप से बनाए जाने वाले भोजन को पचाने के लिए व्यायामयुक्त नमस्कार करने की प्रथा बनाई गई है।

नमस्कार करने से हमारा अहंकार नष्ट होता है। विनय गुण नम्रता विकसित होती है एवं मन शुद्ध होता है।

अत: प्रथम नमस्कार अपनी ओर से ही करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम अथवा चरण स्पर्श करने से आयु, सम्मान, तेज और शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। संत–महात्माओं के दर्शन मात्र और चरण स्पर्श से तीन जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हमारा कल्याण होता है। संत–महात्माओं ने जिस तप को बड़ी मेहनत करके एवं त्याग–तपस्या से प्राप्त किया है, उस तप को वे खुले दिल से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे दुकानदार का जितना भी माल बिकता है वह उतना ही खुश होता है। संत–महात्मा जग का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं।

रायसेन की विशेषताएं

कृषि प्रधान हिन्दुस्तान जय जवान जय किसान,
रायसेन के अन्नदाता बासमती चावल की उगाय धान।

मध्यप्रदेश के पर्यटक स्थल रायसेन विदिशा को मिली सौगात,
भीम बैटका और सांची का स्तूप को घोषित विश्व विख्यात।

रायसेन की आई सुप्रभात कलम उठाई हाथ,
कोरे कागज पर लिख दिया नई ऊर्जा के साथ।

मध्य प्रदेश के रायसेनवासी है अमन चमन,
स्वस्थ तन स्वस्थ मन तभी है नम्बर बन।

हर भारतीय थामें रहिए एक दूसरे का हाथ
अनेकता में एकता लायें नित नई ऊर्जा के साथ।

उदयगिरि हरियाली से भरी कैलाश पर्वत जैसी निखरी,
गुफाओं में पत्थरों पर देवताओं की मूर्तियां उकेरी।

रायसेन जिला के इतिहास के पन्नों में लिख दिया,
सांची का स्तूप युनेस्को ने विश्व विख्यात घोषित किया।

चारों दिशाओं में तोरण द्वार पर बौद्ध जीवन कथायें दर्शाई,
सैकड़ों वर्षों का इतिहास याद कराती ये पर्यटकों को भाई।

रायसेन की आबादी घनी वासियों की किस्म बनी,
सब किस्मत के धनी सबके हाथों में मनी ही मनी।

सांची स्तूप देखने की ललक हर को रहती है,
प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को हाजिरी दर्शाती है।

– श्रीमती सतरूपा सोने, प्रताप वार्ड– टिकारी, बैतूल

स्वाद और सेहत से भरा भोजन

● गेहूं के आटे में मौसमी सब्जियां या पकी हुई छिलके वाली दाल डालकर स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं व इसे दही व रायते के साथ खा सकते हैं. यह संपूर्ण पौष्टिक आहार होगा.

● गेहूं का दलिया या चावल की खिचड़ी बनाते समय उसमें गाजर, मटर,भुट्टे के दाने, धनिया, प्याज आदि डालिए स्वाद भी बढ़ जाएगा और पौष्टिक, विटामिन्स की मात्रा भी बढ़ जाएगी.

● बेसन गट्टे बनाते समय पत्तेदार सब्जियां या लौकी किस कर मिला देने से गट्टे की सब्जी की पौष्टिकता बढ़ जाएगी.

● कढ़ी में मटर या ताजी चवला फली के दाने या हरे चने, पालक, धनिया या मिक्स सब्जियाँ डाल सकते हैं.

● टमाटर, गाजर, अमरूद,अंगूर, धनिया, पोदीना, करौंदा, कैरी आदि की चटनी बनाकर हम विटामिन सी एवं फ्रूट शर्करा प्राप्त कर सकते हैं.

● तिल्ली,मूंगफली, भूने चने,सूखे खोपरे या लौकी, तरोई, करेले आदि के छिलके में हींग,जीरा,नमक, हल्की सी मिर्च व 1 चम्मच शक्कर डालकर स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं जो कि खराब भी नहीं होती है.

पाक्षिक पंचांग

23 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
फाल्गुन शुक्ल 6 से चैत्र कृष्ण 5 तक

दि.	माह	वार		तिथि/त्यौहार
23	फरवरी	सोम	फाल्गुन शुक्ल	6
24	फरवरी	मंगल	----------	7/8 होलाष्टक प्रारंभ
25	फरवरी	बुध	----------	9
26	फरवरी	गुरु	----------	10
27	फरवरी	शुक्र	----------	11 आमलकी एकादशी
28	फरवरी	शनि	----------	12
01	मार्च	रवि	----------	13 प्रदोष व्रत
02	मार्च	सोम	----------	14 होलिका दहन
03	मार्च	मंगल	----------	15 होली उत्सव, चंद्रग्रहण
04	मार्च	बुध	चैत्र कृष्ण	1 बसंतोत्सव
05	मार्च	गुरु	----------	2 भाई दोज
06	मार्च	शुक्र	----------	3 गणेश चतुर्थी व्रत
07	मार्च	शनि	----------	4
08	मार्च	रवि	----------	5 रंग पंचमी

खेती की अधिक जानकारी के लिए देखें
www.krishakjagat.org

एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की मुलाकात

जयपुर (कृषक जगत)। जयपुर के एक होटल में सांसद मंजू शर्मा की उपस्थिति में इंडिया एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर बीज अधिनियम एवं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया।

श्री खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि कृषि आदान विक्रेताओं का पक्ष सुने बिना बीज अधिनियम एवं प्रस्तावित पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को संसद में पारित करना उचित नहीं होगा। इन विधेयकों का सीधा प्रभाव देशभर के लाखों कृषि आदान व्यापारियों एवं किसानों पर पड़ेगा, इसलिए व्यापक संवाद आवश्यक है। प्रतिनिधियों ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया, पंजीयन, निरीक्षण व्यवस्था तथा दंडात्मक प्रावधानों को लेकर व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार से सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग की।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने विषय की गंभीरता को स्वीकार करते हुए विस्तृत विचार-विमर्श के लिए सहमति प्रदान की तथा संबंधित अधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया। बैठक में रायड़ा उपाध्यक्ष श्री अभय शारदा, महासचिव श्री प्रमोद शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य श्री विजेंद्र जैन (लालसोट) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश अध्यक्ष श्री मान सिंह राजपूत, प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय रघुवंशी, प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी श्री विनोद जैन तथा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृष्णा दुबे ने संयुक्त वक्तव्य में विश्वास व्यक्त किया कि संगठन की मांगें न्यायसंगत हैं और सामूहिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

बेमौसम वर्षा से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

जयपुर। राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी रबी की फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी। कृषि विभाग नें बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। फसल में हुए नुकसान की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, नज़दीकी कृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।

विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लंबित दावों का भुगतान शीघ्र करेंगे : श्री कुमावत

जयपुर। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले में पशुपालकों के बीमा क्लेम राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि जिले में बीमित पशुओं की मृत्युध के बाद बीमा क्लेम हेतु कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा 72 पात्र आवेदनों पर 14 लाख 58 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शेष पात्र दावों का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होते ही शीघ्र कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले में 13 दिसम्बर 2024 से 15 फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल 27 हजार 909 पशुपालकों द्वारा आवेदन किया गया। जिनमें से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से पंजीकृत पशुपालकों का लॉटरी के माध्यम से अंतिम चयन कर 15 फरवरी 2026 तक कुल 20 हजार 642 पशुपालकों को पॉलिसी बॉण्ड जारी किये गये हैं।

पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती इन्द्रा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने योजना की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी से सदन को अवगत कराते हुए बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र बामनवास में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कुल 6,845 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,567 पशुपालकों को पॉलिसी जारी कर की गई। 7,734 बीमित पशुओं में से मृत पशुओं के 52 दावे पेश किये गए, जिनमें से 10 दावों का निस्तारण करते हुए 2 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

श्री कुमावत ने जानकारी दी कि शेष 42 दावों में से 6 आवेदन पशु पर टैग न होने एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारणों से अपात्र पाए गए। 11 ट्रेजरी स्तर पर भुगतान के लिए लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 मामले सर्वेयर स्तर पर तथा 11 मामले पशु चिकित्सकों द्वारा जांच के लिए लंबित हैं, जबकि 12 दावे बीमा कंपनी के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं।

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पशुपालन मंत्री ने जिले में 13 दिसम्बर 2024 से 15 फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों को जारी किये गये पॉलिसी बॉण्ड एवं निस्तारित पात्र आवेदनों का विधानसभावार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि शेष आवेदनों के क्लेम भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि
- बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक

- अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेवल्स, तीर्थ यात्रायें, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
(सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagat
@krishakjagatindia @krishak_jagat

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम ..... पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

असंतुलित उर्वरक नीति से देश की मिट्टी संकट में

एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने सुधार हेतु प्रधानमंत्री को दिए सुझाव

नई दिल्ली (कृषक जगत)। देश के लगभग 14 करोड़ किसान परिवारों और कृषि क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी नीति (NBS) में आमूलचूल बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वर्तमान उर्वरक नीति में यूरिया और NPK की कीमतों के बीच बढ़ते फासले को कम करना अनिवार्य है।

मुख्य चिंता: यूरिया का अत्यधिक उपयोग और मिट्टी की खराबी - श्री कलंत्री ने बताया कि वर्तमान में यूरिया (रु. 266/45kg) और NPK (रु. 2100/50kg) की कीमतों में भारी अंतर है। इसके कारण किसान विवश होकर केवल सस्ते यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से, अत्यधिक नाइट्रोजन के कारण मिट्टी की अम्लीयता (Acidity) बढ़ रही है, जिससे मिट्टी सख्त हो रही है और उसकी पानी सोखने की क्षमता घट रही है। यह आने वाले समय में देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

एसोसिएशन के प्रमुख सुझाव: सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड): सामान्य यूरिया की जगह सल्फर कोटेड यूरिया को रु. 500 प्रति 40 किग्रा की दर पर प्रोत्साहित किया जाए। यह 'स्लो रिलीज' खाद है जो मिट्टी की खराबी में 30 प्रतिशत तक कमी लाती है।

चरणबद्ध उत्पादन: अगले 5 वर्षों में सामान्य यूरिया का उत्पादन हर साल 20 प्रतिशत घटाया जाए और उसकी जगह नया उन्नत यूरिया लाया जाए।

सब्सिडी का पुनर्वितरण: यूरिया पर बचने वाली अतिरिक्त सब्सिडी का उपयोग NPK और DAP की कीमतों को कम (रु. 1350 - रु. 1500) करने के लिए किया जाए, ताकि किसान संतुलित पोषण (Balanced Nutrition) अपना सकें।

MRP का निर्धारण : कंपनियों द्वारा अलग-अलग MRP रखने से किसान भ्रमित हैं। सरकार को हर ग्रेड की MRP पुन: फिक्स करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री के विजन का समर्थन: श्री कलंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में MSP खरीद पर खर्च किए गए रु. 19.60 लाख करोड़ और 'किसान सम्मान निधि' के तहत रू. 3.70 लाख करोड़ के सीधे लाभ की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का 'यूरिया का उपयोग कम करने' का सपना तभी साकार होगा, जब अन्य उर्वरकों (NPK/MOP) की कीमतें किसानों की पहुंच में होंगी। एसोसिएशन ने मांग की है कि MOP (पोटाश) की कीमतों को भी नियंत्रित किया जाए ताकि गन्ना और अन्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित न हो। इस विषय पर विस्तृत चर्चा हेतु एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और रसायन मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मिलने का समय माँगा है।

एसएमएल के श्री शाह एमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित

मुंबई (कृषक जगत)। एसएमएल लि. (पूर्व में सल्फर मिल्स लि.) के प्रबंध निदेशक श्री बिमल शाह को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर में प्रतिष्ठित 'एमडी ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गत दिनों मुंबई में प्रदान किया गया, जिसमें दूरदर्शी नेतृत्व, व्यावसायिक उत्कृष्टता और संगठनात्मक विकास और उद्योग उन्नति में प्रभावशाली योगदान को मान्यता दी गई। यह प्रतिष्ठित सम्मान श्री शाह की रणनीतिक दूरदर्शिता, नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज का प्रमाण है। यह व्यक्तिगत उपलब्धि के अलावा एसएमएल समूह की सामूहिक शक्ति, मूल्यों और प्रगति को भी प्रदर्शित करती हैं।

बीएएसएफ : नई डिस्पर्शन लाइन से स्थानीय उत्पादन को मिलेगी मजबूती

BASF

मुंबई (कृषक जगत)। बीएएसएफ अपने मंगलौर संयंत्र में एक नई उत्पादन लाइन जोड़कर अपने डिस्पर्शन उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहा है। यह विस्तार भारत की दीर्घकालिक वृद्धि में बीएएसएफ के विश्वास और वास्तु पेंट, निर्माण रसायन और कागज अनुप्रयोगों में ग्राहकों को सहयोग देने की उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उच्च प्रदर्शन वाले डिस्पर्शन की मांग में लगातार हो रहे बदलावों के बीच, यह जुड़ाव भारत और व्यापक क्षेत्र में ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप विश्वसनीय स्थानीय आपूर्ति और उन्नत समाधान प्रदान करने की बीएएसएफ की क्षमता को मजबूत करेगा।

बीएएसएफ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एंड्रियास फेचटेनकोएटर ने कहा 'हमारे मैंगलोर साइट के विस्तार से बीएएसएफ के एशिया प्रशांत विनिर्माण नेटवर्क में तालमेल मजबूत होगा, विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी और हम भारत और इस क्षेत्र में अपने ग्राहकों को नवीन, लागत-प्रतिस्पर्धी फैलाव समाधान प्रदान करने में सक्षम होंगे।'

अपनी मजबूत एक्रिलिक वैल्यू चेन और व्यापक डिस्पर्शन पोर्टफोलियो का लाभ उठाते हुए, बीएएसएफ स्थानीय स्तर पर प्रीमियम और प्रदर्शन-बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों में अपनी नेतृत्व स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

बीएएसएफ के दक्षिण एशिया स्थित डिस्पर्शन व्यवसाय निदेशक श्री मिलिंद जोशी ने कहा 'नई लाइन को उन्नत डिस्पर्शन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लक्षित प्रदर्शन और स्थिरता लाभ प्रदान करते हैं, "Acronal® और Basonal® तकनीकें पेंट, निर्माण और कागज के अनुप्रयोगों में कम VOC वाले, टिकाऊ फॉर्मूलेशन को सक्षम बनाती हैं, जो विश्वसनीय स्थानीय उत्पादन द्वारा समर्थित हैं।'

UPL

यूपीएल का बड़ा फैसला

किसानों को मिलेगा एकीकृत और मजबूत फसल सुरक्षा मंच

मुंबई (कृषक जगत)। वैश्विक कृषि-इनपुट कंपनी प्रा.लि. ने अपने समूह पुनर्गठन की घोषणा की है, जिसके तहत भारत और अंतरराष्ट्रीय फसल सुरक्षा व्यवसाय को एक नई सूचीबद्ध कंपनी में समेकित किया जाएगा। इस कदम के साथ कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सूचीबद्ध शुद्ध-फसल सुरक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगी। यह फैसला किसानों, डीलरों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे अनुसंधान, उत्पादन और बाजार आपूर्ति में बेहतर तालमेल की संभावना बनेगी।

क्या होगा बदलाव?

पुनर्गठन योजना के तहत UPL अपनी सहायक कंपनियों के साथ तीन चरणों में संरचनात्मक बदलाव करेगी- UPL SAS का PL में विलय।

भारत के फसल सुरक्षा कारोबार को अलग कर नई कंपनी PL Global में स्थानांतरित करना।

अंतरराष्ट्रीय फसल सुरक्षा इकाई PL Crop Protection Holdings Limited UPL Corp का UPL Global में विलय।

योजना पूरी होने के बाद दो सूचीबद्ध कंपनियां होंगी-UPL-विविधीकृत कृषि और स्पेशियलिटी केमिकल्स मंच और PL Global - समर्पित फसल सुरक्षा मंच।

किसानों के लिए क्या मायने?

मजबूत शोध, नए उत्पाद, बेहतर आपूर्ति: भारत और वैश्विक कारोबार के एकीकरण से उन्नत अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास को गति मिलेगी। इससे कीटनाशक, फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी उत्पादों में नवाचार बढ़ेगा। एकीकृत संरचना से उत्पादन और वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को समय पर उत्पाद उपलब्धता मिल सकेगी।

कब तक पूरी होगी प्रक्रिया?

कंपनी के अनुसार यह प्रक्रिया अगले 12-15 महीनों में पूरी होने की संभावना है। इसके लिए सेबी, रिज़र्व बैंक, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सहित अन्य नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक होगी। PL का यह पुनर्गठन कदम भारतीय कृषि बाजार में फसल सुरक्षा क्षेत्र को और अधिक संगठित, प्रतिस्पर्धी और नवाचार-उन्मुख बना सकता है।

स्वराज ट्रैक्टर्स गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित

मोहाली (कृषक जगत)। महिंद्रा समूह का हिस्सा, स्वराज ट्रैक्टर्स को ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने और भारत के गांवों में समावेशी विकास को सक्षम बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वराज की प्रमुख एकीकृत ग्राम विकास पहल के लिए दिया गया है।

यह एक समग्र, समुदाय-आधारित कार्यक्रम है, जिसे सतत ग्रामीण परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विस्तृत ग्राम-स्तरीय आकलन और स्थानीय हितधारकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव पर आधारित यह पहल विकास प्राथमिकताओं को ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। एक एकीकृत और सहभागी मॉडल के माध्यम से, यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है, जल सुरक्षा में सुधार करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से आय सृजन को सक्षम बनाता है । क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने से महिलाओं, युवाओं और किसानों को अपने समुदायों में विकास का नेतृत्व करने की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। पिछले तीन वर्षों में, इस पहल ने स्थानीय संस्थानों को मजबूत करके, सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर और सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके पंजाब और हरियाणा के 30 से अधिक गांवों में मापने योग्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया है।

प्रमुख पहलों में 15 से अधिक ग्राम तालाबों का जीर्णोद्धार और सरकारी स्कूलों में 23 छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है, जो जल संरक्षण और पारिस्थितिकी बहाली में सहायक हैं। इस कार्यक्रम ने आवश्यकता-आधारित अवसंरचना सहायता और लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेपों के माध्यम से 30 से अधिक सरकारी स्कूलों में 5,000 से अधिक छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार किया है।

इस सम्मान के अवसर पर बोलते हुए, एम एंड एम लि. के स्वराज डिवीजन के सीईओ, श्री गगनजोत सिंह ने कहा- 'स्वराज में हम उन समुदायों की प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। ग्रुप महिंद्रा के सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर, हम ग्रामीण परिवारों के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ और समुदाय-आधारित अवसर सृजित करने का काम करते हैं। यह सम्मान हमारे इस विश्वास को पुष्ट करता है कि सशक्त समुदाय ही स्थायी ग्रामीण परिवर्तन की नींव हैं।' गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स संगठनात्मक प्रथाओं और प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में से एक हैं, और स्वराज का चयन एक कठोर बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद हुआ।

कृषि और खाद्य - यह आजीविका और राष्ट्रीय सुरक्षा है, व्यापार या PR नहीं

● डॉ. सुरेश मोटवानी,मो. : 9425010530
Email: drsmotwani@gmail.com

हम अक्सर कृषि-विकास की बहस में नंबर और निर्यात को प्राथमिकता दे देते हैं..कितने करोड़ डॉलर के निर्यात हुए, किस बाजार में पहुंच बना ली.. पर असली प्रश्न यह है- क्या हमारी नीति पहले हमारी जनता को सुरक्षित, पोषणीय और किफायती भोजन दे रही है, या विदेशों में छवि बनने के लिए हम अपनी थाली को जोखिम में डाल रहे हैं? कृषि भारत की 45-50% तक श्रम-शक्ति से जुड़ी है; छोटे और सीमांत किसान लगभग 86 प्रतिशत से अधिक हैं। जब किसान और ग्रामीण आजीविका ही असुरक्षित हों, तो दुनिया में शीर्ष स्थान का ऐलान अर्थहीन प्रतीत होता है। घरेलू सुरक्षा को दरकिनार कर निर्यात-लक्ष्य बनाना दीर्घकालिक दृष्टि नहीं हो सकती। COVID-19 ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल सप्लाई-चेन कितनी नाजुक है। लॉकडाउन, श्रमिकों के आवागमन पर प्रतिबंध और बंदरगाहों की रुकावट ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठप कर दिया, जिसके चलते 2020-21 में खाद्य असुरक्षा तेजी से बढ़ने की चेतावनी दी गयी। वैश्विक रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि महामारी के कारण खाद्य असुरक्षा भयावह रूप से बढ़ सकती है और मामूली व्यवधान बड़े सामाजिक संकट में बदल सकते हैं। इस अनुभव से सीख यही निकली..जब वैश्विक प्रणाली पर भरोसा टूटे तो स्थानीय उत्पादन, भंडारण और वितरण ही लोगों की थाली बचाते हैं।

सुरक्षा के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अनाज और तेल बीज बाजार को और अस्थिर कर दिया। दोनों देश विश्व गेहूँ, मक्का और कुछ तेल बीज के महत्वपूर्ण निर्यातक हैं; संघर्ष के कारण आपूर्ति में भारी गिरावट और कीमतों में उछाल देखा गया। कई देशों ने अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाए, यह बताता है कि संकट के समय राज्य अपना हित पहले देखते हैं। ऐसे समय में जिन देशों की घरेलू आपूर्ति कमजोर हो, वे वैश्विक बाजार के झटकों का शिकार बनती हैं। WTO के आँकड़े भी बताते हैं कि युद्ध और महामारी के बाद कई देशों ने खाद्य, फीड और उर्वरक पर निर्यात प्रतिबंध लगाए रखें, मध्य-2023 तक दर्जनों उपाय प्रभावी रहे। यह तथ्य साबित करता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के बावजूद जब देश अपने नागरिकों की सुरक्षा का सवाल उठता है तो वे बाजार-नियमों से आगे जाकर अपने घरेलू हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे परिदृश्य में आत्मनिर्भर घरेलू व्यवस्था की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा

भारत की परिस्थिति भी जटिल है- उत्पादन बढ़ रहा है कुल अनाज उत्पादन हाल के सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है पर आयात-निर्भरताएँ अलग प्रकार की जोखिमें खड़ी करती हैं। खासकर खाद्य तेल में आयात हमारी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं; वर्षों में इसका आयात बिल कई अरब डॉलर तक पहुँचा है। यह दर्शाता है कि हम कुछ प्रमुख आवश्यकताओं में बाहरी निर्भरता पर बैठे हैं और यही निर्भरता हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता बढ़ाती है। स्थानीय खाद्य प्रणाली इस संदर्भ में सिर्फ 'असली विकल्प' नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। जब उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री स्थानीय-स्तर पर जुड़ा होता है तो- ताजगी और पोषण बढ़ता है; परिवहन और भंडारण में नुकसान कम होता है; किसानों के हाथ की कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में लौटती है; जल और मिट्टी के संदर्भ में उपयुक्त फसल-तैयारी से संसाधन संरक्षण होता है; और सबसे बड़ी बात आपात स्थितियों में समुदाय स्वयं अपने भोजन की आपूर्ति कर सकता है।

किसानों, नागरिकों के लिए खतरे वास्तविक

शोध बताते हैं कि स्थानीय प्रणालियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक संतुलित होती हैं और संकट-प्रतिरोधकता बढ़ाती हैं। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ 'स्वदेशी उत्पादन' नहीं, बल्कि 'स्थिर, पोषण-समृद्ध और संसाधन-संरक्षित' सिस्टम बनाना है। हाल के दिनों में भारत-अमेरिका तथा भारत-E जैसे व्यापक व्यापार ढाँचे पर बातचीत और समझौते चर्चा में हैं। सरकार इनके लाभ-हानि दोनों की बात करती है..पर किसानों और नागरिकों के लिए खतरे वास्तविक हैं। एक बड़े बाज़ार-समझौते में किसान-सहायता और सब्सिडी असमानता (जैसे उच्च सब्सिडी देने वाले विदेशी कृषि-खेतों से सस्ते आयात) घरेलू उत्पादकों को दांव पर लगा सकती है। इसके साथ कुछ और बड़े जोखिम हैं जिन्हें नीति-निर्माता अनदेखा करते हैं- वैश्विक बीज-और-कीटनाशक उद्योग में असाधारण केंद्रीकरण (चार-पाँच बड़ी कंपनियों का वर्चस्व) है इससे बीज की कीमत, किस्मों की उपलब्धता और फार्म-इन्सपुट पर नियंत्रण केंद्रीकृत होता जा रहा है; आपात में यह नियंत्रण खाद्य संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है।

बीज पर देश की निर्भरता बढ़े

बड़ी कंपनियों का एकीकरण और ओलिगोपॉली जोखिम यह है कि कृषि-इनपुट और बीज पर देश की निर्भरता बढ़े और लोकनीति पर प्रभाव गहरा हो। ग्लोबल शॉक (महामारी, युद्ध), निर्यात-प्रतिबंध, बाजार-केंद्रीकरण और बड़े FTA के अनियंत्रित प्रावधान.. ये सब मिलकर खाद्य-स्वतंत्रता और किसानों की आय के लिए गंभीर थ्रेट हैं। यह नहीं कहा जा रहा कि व्यापार बुरा है; पर व्यापार तब ही सार्थक है जब वह घरेलू सुरक्षा और संसाधन-सुरक्षा के साथ सामंजस्य में हो। विदेशी समझौते तभी स्वीकार्य होने चाहिए जब वे कृषि-संवेदनशीलता, सब्सिडी-असमानता और खाद्य-प्रवाह की दीर्घकालिक स्थिरता को जोखिम में न डालें।

नीति-स्तर पर कुछ विशिष्ट, तात्कालिक सिफारिशें जिनका तत्काल पालन किया जाना चाहिए

- राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा विन्यास को राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में औपचारिक रूप से शामिल करें।
- रक्षा, ऊर्जा और खाद्य को समान रणनीतिक प्राथमिकता दें।
- खाद्य-सुरक्षा के संकेतक नियमित सुरक्षा समीक्षा के हिस्से हों।
- किसानों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों से पहले FTA/बीटीए के कृषि प्रावधान सार्वजनिक व उपभोक्ता-अनुकूल हों।
- संवेदनशील सूची, अस्थायी संरक्षण उपाय और प्रतिस्पर्धी सब्सिडी अंतर के लिए समायोजित कट-अफ पिरियड हों (सरकारों को समझौते के टेक्स्ट को पारदर्शी रखना चाहिए)।
- निर्यात-प्रोत्साहन से पहले घरेलू पोषण और जल-आधारित मूल्यांकन अनिवार्य हो।
- किसी भी बड़े निर्यात अभियान से पहले water footprint, पोषण-विन्यास और घरेलू उपलब्धता के संकेतक पर निर्णायक आकलन होना चाहिए।
- स्थानीय खाद्य प्रणालियों में निवेश बढ़ाएँ।
- विकेन्द्रीकृत कोल्ड-चेन, स्थानीय प्रोसेसिंग, मंडी सुधार और एफपीओ को मजबूती दें इससे किसानों को मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी बढ़ेगी और आपूर्ति-लचीलापन बढ़ेगा।
- खाद्य तेल और दालों जैसी संवेदनशील वस्तुओं के लिए 'मिशन-मोड' फुंदिंग और अनुसंधान ताकि आयात निर्भरता कम हो।
- बीज उन्नयन, क्रॉप-इंटेंसिफिकेशन जो जल-सुरक्षित हो, और वैल्यू-एडिशन टैक्नोलॉजीज़ पर फोकस।
- बाजार की केंद्रीकरण पर निगरानी और प्रतिस्पर्धा नीतियाँ कड़ी करें।
- बीज-और-एग्रीकेमिकल oligopoly का सोशल और रणनीतिक जोखिम आंका जाए और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाए जाएँ।
- पीडीएस,मिड-डे मिल,आँगनबाड़ी आदि में स्थानीय खरीद को जरूरी मानक बनाएं इससे स्थानीय उत्पादन और पोषण दोनों को बल मिलेगा।
- आकस्मिक निर्यात-प्रतिबंधों के लिए वैकल्पिक योजना और भंडार नीति स्पष्ट, पूर्वानुमेय नियम ताकि किसान और व्यापारी अचानक नीति-झटकों से न घबराएँ अंत में, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। पहली, वैश्विक व्यापार से पूरी तरह दूरी बनाए रखना युक्तिसंगत नहीं; पर दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण, व्यापार तभी फायदेमंद है जब वह हमारी जनता की थाली और किसान की आजीविका को प्राथमिकता दे। नीति-निर्माता, शोध-संस्थाएँ और नागरिक समाज मिलकर यह तय करें कि कौन-सी फसल, किस पैमाने पर और किस मकसद से बाजार के लिये उपयुक्त है और क्या घरेलू सुरक्षा पहले पूरी हो। अगर हम इस क्रम को उलट देंगे, पहले बाजार, फिर मानव तो लघु-अवधि लाभ के पीछे हमारी दीर्घकालिक सुरक्षा हल हो सकती है।